सत्यमेव जयते

लेखे एक दृष्टि में
2021-22

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार

लेखे एक दृष्टि में
वर्ष 2021-22 के लिए

प्रधान महालेखाकार
(लेखा व हकदारी)
जम्मू एवं कश्मीर

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार

प्राक्कथन

वर्ष 2021-22 हेतु हमारे वार्षिक प्रकाशन 'लेखे एक दृष्टि में' द्वितीय अंक को प्रस्तुत करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, जो कि सरकार की गतिविधियों का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है, जैसे कि वित्त लेखा और विनियोग लेखा में परिलक्षित होता है।

वित्त लेखा, समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और संघ शासित क्षेत्र सरकार के लोक लेखा के अधीन लेखाओं का सारांश विवरण होता है। विनियोग लेखा संसद द्वारा स्वीकृत प्रावधानों के प्रति अनुदान वार व्यय का अभिलेख करता है और आबंटित निधियों और वास्तविक व्यय के मध्य विभिन्नताओं की व्याख्या को दर्शाता है।

वित्त और विनियोग लेखा को संघ शासित क्षेत्र के विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (सीएण्डएजी) के निदेशन में नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 और जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा की आवश्यकताओं के अनुरूप वार्षिक रूप से मेरे कार्यालय द्वारा तैयार किया जाता है। तथापि, जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के विधानमंडल का गठन अब तक नहीं किया गया है। अत:, आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णय (22 जून 1994) के अनुरूप वार्षिक लेखा को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

हम सुझावों का स्वागत करते है।

(डॉ. अभिषेक गुप्ता)
प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)
जम्मू एवं कश्मीर

जम्मू
दिनांक: 22 दिसंबर 2022

हमारी दूरदर्शिता, लक्ष्य और बुनियादी मूल्य

दूरदर्शिता

(हम जो बनना चाहते है वो भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की संस्था की दूरदर्शिता चित्रित करती है।)

हम सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा और लेखा में एक वैश्विक मार्गदर्शन और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्त्म प्रथाओं के सर्जक बनने का प्रयास करते है और सार्वजनिक वित्त और शासन पर स्वतंत्र, विश्वसनीय, संतुलित और समय पर रिपोर्टिंग के लिए मान्यता प्राप्त है।

लक्ष्य

(हमारा लक्ष्य हमारी वर्तमान भूमिका को व्यक्त करता है और हमारे वर्तमान कार्यों को वर्णित करता है।)

भारत के संविधान द्वारा अनिवार्य, हम उच्च गुणवत्ता की लेखा परीक्षा और लेखांकन के माध्यम से उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देते है और अपने हितधारकों यथा विधानमंडल, कार्यपालिका और जनता को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करते है कि सार्वजनिक निधियों का उपयोग कुशलतापूर्वक और इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

बुनियादी मूल्य

(हमारे बुनियादी मूल्य हमारे सभी कृत्यों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश स्तम्भ है और हमें अपने प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए मानदंड देते है।)

- स्वतन्त्रता
- वस्तुनिष्ठता
- सत्यनिष्ठता
- विश्वसनीयता
- व्यवसायिक उत्कृष्ठता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक दृष्टिकोण

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
अध्याय I	विहंगावलोकन	
1.1	परिचय	1
1.2	सरकारी लेखों की संरचना	2
1.3	वित्त लेखा और विनियोग लेखा	4
1.4	निधियों के स्त्रोत और अनुप्रयोग	6
1.5	वर्ष 2021-22 की वित्तीय विशिष्टता	9
1.6	राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम)/ एमटीएफपी अधिनियम, 2006	10
अध्याय II	प्राप्तियाँ	
2.1	परिचय	14
2.2	राजस्व प्राप्तियाँ	14
2.3	कर राजस्व	16
2.4	सहायता अनुदान	17
2.5	लोक ऋण	18
अध्याय III	व्यय	
3.1	परिचय	19
3.2	राजस्व व्यय	20
3.3	पूंजीगत व्यय	23
3.4	नियोजित और अनियोजित व्यय	24
अध्याय IV	विनियोग लेखा	
4.1	वर्ष 2021-22 हेतु विनियोग लेखों का सारांश	25
4.2	बचत/ आधिक्य की प्रवृत्ति	25
4.3	महत्वपूर्ण बचतें	26

पृष्ठ संख्या

अध्याय V	परिसंपत्तियाँ और देयताएँ	
5.1	परिसंपत्तियाँ	27
5.2	ऋण और देयताएँ	29
5.3	प्रत्याभूतियाँ	30
अध्याय VI	अन्य मदें	
6.1	सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम	32
6.2	स्थानीय निकायों और अन्य को वित्तीय सहायता	32
6.3	रोकड़ शेष	33
6.4	मासिक खातों को बंद करने के पश्चात कोषागारों द्वारा खातों को फ्रीज न करना	34
6.5	लेखों का मिलान	34
6.6	लेखा प्रस्तुत करने वाली इकाइयों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	34
6.7	परामर्श बिना नए उप शीर्षों/ विस्तृत लेखा शीर्षों को खोलना	34
6.8	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)	34
6.9	असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिल	35
6.10	लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय और 800-अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत बुकिंग	35
6.11	राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा पर प्रभाव	36
6.12	बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति	36
6.13	पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर व्यय	37
6.14	ब्याज समायोजन	37
6.15	अप्रत्याशित/असाधारण घटनाओं से संबंधित व्यय	38
6.16	ब्लॉक अनुदानों को छोड़कर केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस)/ अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) का पुनर्गठन	38
6.17	संघ शासित क्षेत्र सरकार की ऑफ-बजट देयताएँ	38
6.18	एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) के बैंक खाते में पड़ी अव्ययित राशि	38
6.19	आकस्मिकता निधि	39
6.20	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)	39
6.21	राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ)	39
6.22	राज्य प्रतिकर वनरोपण निधि	39
6.23	विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों का हस्तांतरण	40
6.24	समेकित ऋण शोधन निधियाँ	40
6.25	प्रत्याभूति मोचन निधि	40
6.26	ब्लॉक अनुदानों को शामिल न करते हुए केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस)/ अतिरिक्त केंद्रीय	41
6.27	अन्य उपकर/शुल्क/अधिभार	41
6.28	राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप शेषों का आबंटन	41

अध्याय 1

विहंगावलोकन

1.1 परिचय

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), जम्मू एवं कश्मीर बहु अभिकरणों द्वारा प्रदान किए गए लेखा आँकड़ो को क्रमवार, वर्गीकृत और संकलन करता है और जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र सरकार के लिए लेखा को तैयार करता है। यह संकलन 122 कोषागारों (जिनमें 20 जिला कोषागार और एक आभासी खजाना सम्मिलित है) के द्वारा प्रदान किए गए प्रारम्भिक लेखा, अन्तर राज्य संव्यवहारों और भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह पर आधारित होता है। इस संकलन का अनुकरण करते हुए, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा प्रत्येक माह एक मासिक सिविल लेखा (एमसीए) को जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) वार्षिक वित्त लेखा और विनियोग लेखा को भी तैयार करता है, जिसे प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) जम्मू एवं कश्मीर द्वारा लेखा परीक्षा और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण के पश्चात संघ शासित क्षेत्र विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। चूंकि, जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के विधानमण्डल का अब तक (दिसंबर 2022) गठन नहीं हुआ है और एक वर्ष से अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन के अधीन है। अत: आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णय (22 जून 1994) के अनुसार वर्ष 2021-22 हेतु जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के वार्षिक लेखा को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

1.2 सरकारी लेखों की संरचना

1.2.1 सरकारी लेखों को निम्नलिखित तीन भागों में अनुरक्षित किया जाता है

सरकारी लेखों का संरचना

भाग 1
समेकित निधि

सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व में कर और गैर-कर राजस्व, लिए गए ऋण और समेकित निधि से दिए गए ऋणों की चुकौती (उन पर ब्याज सहित) सम्मिलित है।

सरकार के सभी व्यय और संवितरण, ऋणों को जारी करना और लिए गए ऋणों की चुकौती (तथा उन पर ब्याज), इसी निधि से रे किए जाते है।

भाग 2
आकस्मिकता निधि

आकस्मिकता निधि एक अग्रदाय की प्रकृति में, विधानसभा द्वारा अनुमोदन के विचारधीन, आकस्मिक व्यय को पूरा करने हेतु है। ऐसे व्यय की प्रतिपूर्ति बाद में समेकित निधि से की जाती है।

2021-22 के दौरान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू तथा कश्मीर सरकार के लिए इस निधि का कॉर्पस ₹ 25 करोड़ है।

भाग 3
लोक लेखे

लोक लेखो में ऋण (भाग 1 में सम्मिलित ऋणों के अतिरिक्त) जमा, अग्रिम, प्रेषण तथा उचंत से संबंधित संव्यवहार को रिकॉर्ड किया जाता है। इस भाग में ऐसे ऋण, जमा तथा अग्रिम सम्मिलित हैं जिनके संबंध में सरकार धन वापिस देने का दायित्व लेती है अथवा भुगतान की गई राशियों को वसूल करने का दावा कर सकती है (ऋण तथा जमा की अदायगीओं और अग्रिमों की वसूली सहित)।प्रेषित तथा उचंत केवल समायोजन शीर्ष हैं जिनमें कोषागारों और मुद्रा चेस्ट के बीच नगदी के प्रेषण तथा विभिन्न लेखा सर्किल के बीच हस्तांतरण प्रकट होते हैं। इन शीर्षों में प्रारम्भिक डेबिट तथा क्रेडिट का निपटान, या तो उसी लेखा सर्किल में या फिर किसी दूसरे लेखा सर्किल में तदनुरूपी प्राप्ति अथवा भुगतान द्वारा किया जाता है।

1.2.2 लेखों का संकलन

लेखों के संकलन हेतु फ्लो डायग्राम

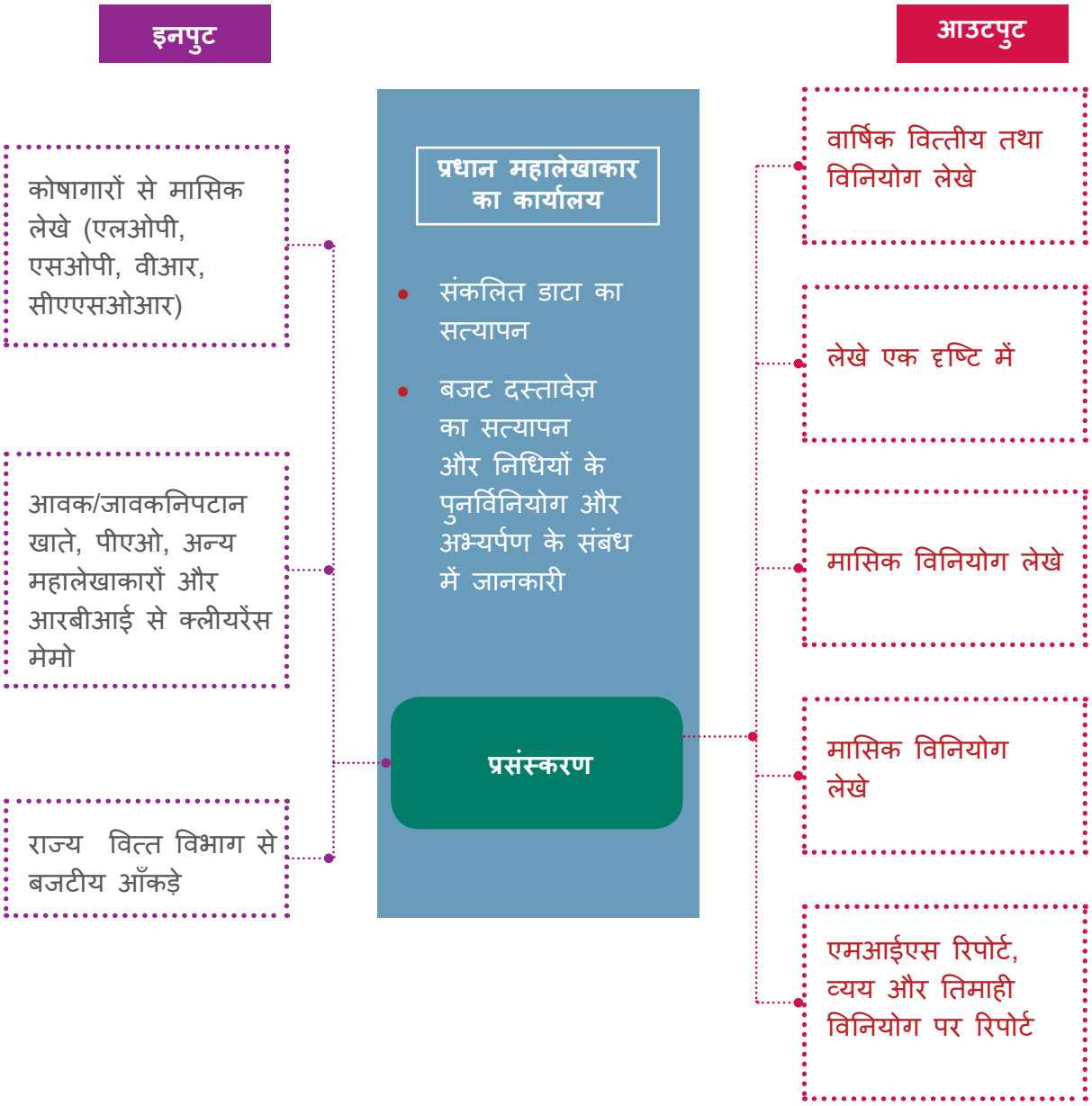

1.3 वित्त लेखा और विनियोग लेखा

1.3.1 वित्त लेखा

वित्त लेखा वर्ष के लिए संघ शासित क्षेत्र सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों, के साथ राजस्व और पूंजीगत लेखाओं द्वारा प्रकट वित्तीय परिणामों, लेखाओं में अभिलेखित लोक ऋणों और लोक लेखा शेषों को भी दर्शाता है। वित्त लेखा को और अधिक व्यापक और सूचनापद बनाने के लिए इसे दो खण्डों में तैयार किया जाता है। वित्त लेखा के खण्ड-I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र निहित रहता है, जिसमे सारांश रूप में सारी प्राप्तियाँ और संवितरण (राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, ऋण और अग्रिमएवं लोक ऋण), निवेश, प्रत्याभूतियाँ, सहायता अनुदान और 'लेखाओं पर टिप्पणियाँ' में महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ, लेखा गुणवत्ता और अन्य मदों का सारांश निहित होता है; खण्डII में ब्योरेवार विवरण (भाग-1) और परिशिष्ट (भाग-2) होते है।

वर्ष 2021-22 हेतु जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र सरकार की प्राप्तियाँ और संवितरणऔर वित्त लेखा में इसके परिणामस्वरूप अधिशेष/ कमी इस प्रकार है:

वर्ष 2021-22 में प्राप्तियाँ और संवितरण

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ 70,390	राजस्व 59,238	**कर राजस्व**	**11,707**
		(क) स्वयं का कर राजस्व	11,707
		(ख) करों की निवल प्राप्तियों का अंश	-
		गैर-कर्राजस्व	**4,840**
		सहायता अनुदान	**42,691**
	पूंजीगत 11,152	**ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियाँ**	**01**
		उधारियाँ तथा अन्य देयताएं*	**11,151$**
		अन्य प्राप्तियाँ	**-**
संवितरण 70,390	**राजस्व**		**59,269**
	पूंजीगत		**11,047**
	ऋण और अग्रिम		**74**
	आकस्मिकता निधि को हस्तांतरण		**-**
	राजस्व घाटा		**31**
	राजकोषीय घाटा		**11,151**
	प्राथमिक घाटा		**3,791**

* *उधारियाँ तथा अन्य देयताए: निवल (प्राप्तियाँ - संवितरण) सार्वजनिक ऋण +आकस्मिक निधि का निवल + निवल(प्राप्तियाँ - संवितरण) लोक लेखा+ निवल अथ तथा अंत नकद शेष*

$ *जीएसटी क्षतिपूर्ति के एवज में बैंक टू बैंक ऋण के रूप में भारत सरकार द्वारा जारी ₹ 3,845 करोड़ का ऋण शामिल है।*

वर्ष 2021-22 में प्राप्तियाँ और संवितरण

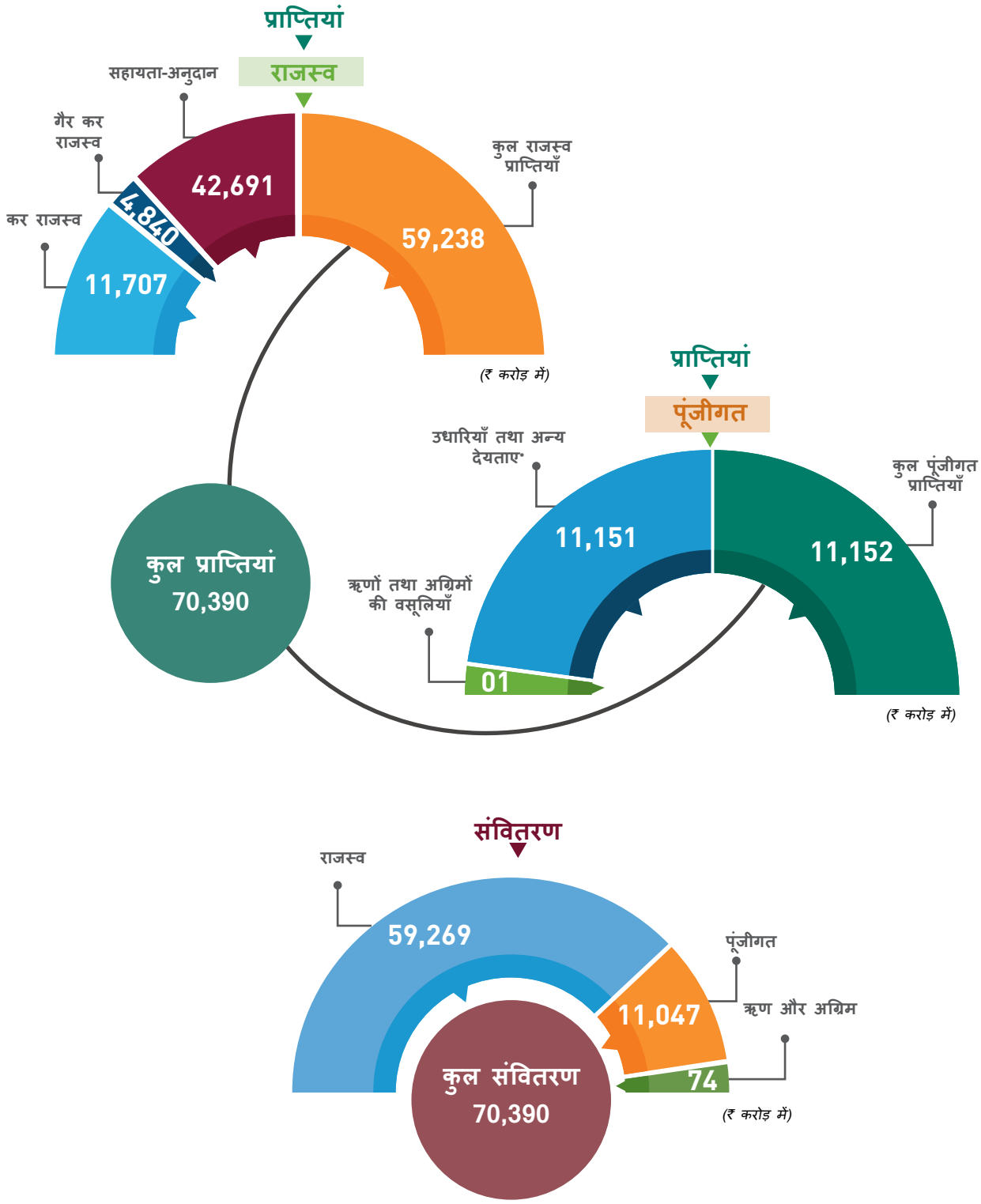

** उधारियाँ तथा अन्य देयताए: निवल (प्राप्तियाँ - संवितरण) सार्वजनिक ऋण + आकस्मिक निधि का निवल + निवल (प्राप्तियाँ - संवितरण) लोक लेखा+ निवल अथ तथा अंत नकद शेष*

1.3.2 विनियोग लेखे

संविधान के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा सिवाय विधानमण्डल के प्राधिकार सहित कोई व्यय नहीं किया जा सकता। संविधान में स्पष्ट उल्लिखित निश्चित व्ययों को छोड़ कर जैसे कि समेकित निधि पर "प्रभारित व्यय", जिन्हें विधानमण्डल के मत के बिना किया जा सकता है, अन्य सभी व्यय को मतदान अपेक्षित है। जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र सरकार के बजट में अनुदान हेतु प्रभारित विनियोग और दत्तमत अनुदानों को प्रतिबिम्बित करते हुए 35 मांग निहित है।विनियोग लेखे का उद्देश्य उस सीमा को इंगित करना होता है जिसमें प्रत्येक वर्ष के विनियोग अधिनियम द्वारा विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत विनियोग के साथ वास्तविक व्यय का संकलन किया जाता है।

1.3.3 बजट तैयारी की दक्षता

वर्ष 2021-22 के दौरान संसद द्वारा संस्वीकृत बजट के प्रति संघ शासित क्षेत्र सरकार के वास्तविक सकल व्यय ने ₹ 18,849 करोड़ (14 प्रतिशत) की बचत को दर्शाया और व्यय की कमी पर आंकलन के अंतर्गत ₹ 10 करोड़ (36 प्रतिशत) को दर्शाया। निश्चित अनुदान जो योजना, विद्युत विकास, विधि, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, श्रम, लेखन सामग्री और मुद्रण, पर्यटन, जनजातीय मामले, इत्यादि ने इस अवधि के दौरान पर्याप्त बचत को दर्शाया।

1.4 निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

न्यूनतम रोकड़ शेष में कमी को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम को लिया जाता है जिन्हें संघ शासित क्षेत्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखना होता है। वर्ष 2021-22 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को दिया गया कुल अर्थोपाय अग्रिम ₹ 20,075 करोड़ था, अर्थोपाय अग्रिम के कारण ₹ 716 करोड़ की सीमा तक बकाया शेष था, जिसमे से सरकार ने ₹ 20,292 करोड़ की पुन: अदायगी की। अत:, 31 मार्च 2022 को ₹ 499 करोड़ का बकाया शेष रहा। 30 अक्टूबर 2019 को ₹ 692 करोड़ का भी बकाया शेष था जिसे अभी भी आनुक्रमिक जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र और लद्दाख संघ शासित क्षेत्र के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

1.4.2 भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट

ओवरड्राफ्ट को भारतीय रिजर्व बैंक से लिया जाता है जबकि न्यूनतम रोकड़ शेष की सीमा जो कि ₹ 1.14 करोड़ है से, अर्थोपाय अग्रिम लेने के पश्चात भी नीचे गिर जाती है जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखना अपेक्षित है। वर्ष 2021-22 के दौरान 31 मार्च 2021 को ₹ 1,069 करोड़ के बकाया ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त, ₹ 16,027 करोड़ के ओवरड्राफ्ट भी लिए गए,जिनमें से ₹ 17,096 करोड़ को उक्त अवधि के दौरान चुकाया गया। अत:, 31 मार्च 2022 को ₹ शून्य करोड़ का बकाया शेष था।

1.4.3 निधि फलो विवरण

वर्ष 2021-22 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की सरकार को ₹ 31 करोड़ का राजस्व घाटा और ₹ 11,151 करोड़ का राजकोषीय घाटा था। राजकोषीय घाटे ने जीएसडीपी के 5.67 प्रतिशत का निर्माण किया {₹ 1,96,696 करोड़ जैसा कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार (26 अप्रैल 2022) द्वारा उपलब्ध कराया गया है}। यह राजकोषीय घाटा (i) आंतरिक ऋण (₹ 8,744 करोड़ की बाजार उधारियां, वित्तीय संस्थानों से ऋण), (ii) केंद्र सरकार से ₹ 3,726 करोड़ के ऋण व अग्रिम (iii) (-) ₹ 595 करोड़ लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि से (iv) ₹ 331 करोड़ जमा और अग्रिमों से (v) शून्य करोड़ आकस्मिकता निधि (vi) ₹ 149 करोड़ ऋण शोधन और आरक्षित निधियां (vii) ₹ 129 करोड़ उचंत और विविध (viii) (-) ₹ 1,333 करोड़ प्रेषण और (ix) शुन्य करोड़ रोकड़ शेष में कमी से पूरा किया गया।संघ शासित क्षेत्र सरकार कीराजस्व प्राप्तियों (₹ 59,238 करोड़) का लगभग 75.96 प्रतिशत प्रतिबद्ध व्यय जैसे वेतन (₹ 26,077 करोड़), पेंशन अदायगियाँ (₹ 11,563 करोड़) और ब्याज अदायगियाँ (₹ 7,360 करोड़) पर खर्च किया गया।

निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल 2021 को अथ रोकड़ शेष	1,448
राजस्व प्राप्तियाँ	59,238
पूंजीगत प्राप्तियाँ	-
ऋणों और अग्रिमों की वसूली	01
लोक ऋण	54,045
लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	6,024
आरक्षित निधि तथा निक्षेप निधियाँ	433
प्राप्त जमा	4,283
चुकाए गए सिविल अग्रिम	-
उचंत लेखा#	16,439
प्रेषित धन	46
कुल	1,41,957

राजस्व व्यय	59,269
पूंजीगत व्यय	11,047
प्रदत्त ऋण	74
लोक ऋणों की पुन: अदायगी	41,575
लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	6,619
आरक्षित निधि तथा निक्षेप निधियाँ	284
चुकाई गई जमा	3,952
चुकाए गए सिविल अग्रिम	-
उचंत लेखा#	16,310
प्रेषित धन	1,379
31 मार्च 2022 तक अंत रोकड़ शेष	1,448
कुल	1,41,957

 # उचंत लेखा में सम्मिलित खजाना बिलों और विभागीय शेषों के संवितरण और स्थायी नकद अग्रदाय में ₹ 15,072 करोड़ निवेश किए गए जिसे "अनुप्रयोग" के एक ओर दर्शाया गया है और ₹ 15,072 करोड़ के मूल्य के खजाना बिलों को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विक्रय किया गया (एक प्रक्रिया जिसे "रि-डिस्काऊंटिंग" नाम से जाना जाता है) और विभागीय शेष में प्राप्ति और स्थायी अग्रदाय जो कि "स्रोत" की ओर दर्शाया गया है।

1.4.4 रूपया (₹) कहाँ से आया

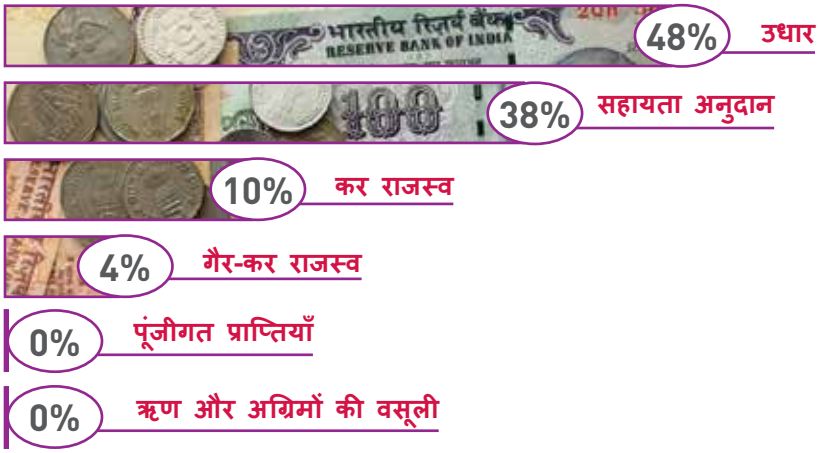

** केवल ₹ 1 करोड़ नगण्य*

1.4.5 रुपया (₹) कहां गया

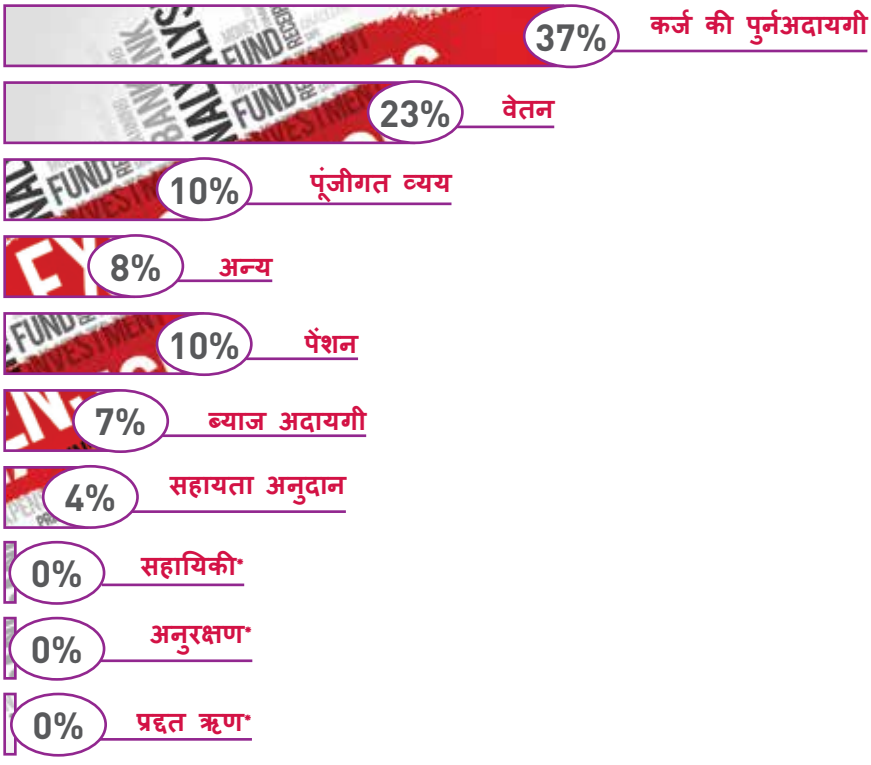

** नगण्य (सहायिकियां ₹ 0.95 करोड़, अनुरक्षण ₹ 478 करोड़ और दिए गए ऋण ₹ 74 करोड़ मात्र)*

1.5 वर्ष 2021-22 की वित्तीय विशिष्टता

लेखा महानिदेशक (सीजीए) के पोर्टल लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के अनुसार, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों ने जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित सरकार के विभिन्न विभागों को सीधे ₹ 802.04 करोड़ की निधियाँ प्रत्यक्ष रूप से जारी की 2020-21 के दौरान जारी किए गए ₹ 917.68 करोड़ के मुकाबले 2021-22 के दौरान।

खण्ड-II में परिशिष्ठ-VI में विवरण है

उपर्युक्त के अलावा, विभिन्न स्वायत्त निकायों, केन्द्र सरकार के संगठनों, सोसाइटियों इत्यादि ने केन्द्र सरकार से सीधे ही ₹ 3,190.72 करोड़ प्राप्त किये हैं।

निम्नलिखित सारणी वर्ष वास्तविक वित्तीय परिणामों के विवरण के साथ-साथ वर्ष 2021-22 हेतु बजट आंकलन भी प्रदान करती है।

(₹ करोड़ में)

क्रं सं.	विवरण	बजट आंकलन 2021-22	वास्तविक	बीई को वास्तविक का प्रतिशत	जीएसडीपी को वास्तविक का प्रतिशत*
1.	कर राजस्व (केंद्रीय अंश सम्मिलित करते हुए)	16,276	11,707	72	06
2.	गैर-कर राजस्व	8,209	4,840	60	02
3.	सहायता अनुदानएवं अंशदान	72,656	42,691	59	22
4.	*राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)*	**97,141**	**59,238**	**61**	**30**
5.	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	05	01	20	**
6.	अन्य प्राप्तियाँ	-	-	-	-
7.	उधारियाँ और अन्य देयताएं	11,475	11,151	97	06
8.	*पूंजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)*	**11,480**	**11,152**	**97**	**06**
9.	*कुल प्राप्तियाँ (4+8)*	**1,08,621**	**70,390**	**65**	**36**
10	राजस्व व्यय	68,804	59,269	86	30
11.	ब्याज भुगतान पर व्यय (राजस्व व्यय में से)	7,692	7,360	96	04
12.	पूंजीगत व्यय	39,708	11,047	28	06
13.	*संवितरित ऋण और अग्रिम*	**109**	**74**	**68**	**
14.	*आकस्मिकता निधि को हस्तांतरण*	-	-	-	-
15.	*कुल व्यय (10+12+13+14)*	**1,08,621**	**70,390**	**65**	**36**
16.	*राजस्व अधिशेष (+)/घाटा(-) (4-10)*	**(+)28,337**	**(-)31**	^	**
17.	*राजकोषीय घाटा (4+5+6-15)*	**11,475**	**11,151**	**97**	**06**

** ₹ 1,96,696 करोड़ जैसा कि भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन की वेब-साइट परउपलब्ध (26.04.2022)।*

*** नगण्य*

^ 100 प्रतिशत से अधिक

कमी और आधिक्य क्या इंगित करते है?

कमी

कमी से तात्पर्य राजस्व तथा व्यय के बीच अन्तर से है।कमी का प्रकार, कि कमी को कैसे वित्तपोषित किया जाता है, तथा निधियों का अनुप्रयोग वित्तीय प्रबंधन की समझदारी के मुख्य सूचक है।

राजस्व कमी/ आधिक्य

से तात्पर्य राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के बीच अन्तर से है। राजस्व व्यय सरकार की मौजूदा स्थापनाओं को अनुरक्षित रखने के लिए अपेक्षित है तथा आदर्शत: इसे राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया जाना चाहिए।

राजकोषीय घाटा/ आधिक्य

से तात्पर्य कुल प्राप्तियों (उधारियों को छोड़कर) तथा कुल व्यय के बीच अन्तर से है। इसलिए यह अन्तर उस सीमा को दर्शाता है जिस तक व्यय को उधारियों से वितपोषित किया जाता है। आदर्शत: उधारियों का पूंजीगत परियोजनाओं में निवेश किया जाना चाहिए।

1.6 राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम)/ एमटीएफपी अधिनियम, 2006

सरकार के राजकोषीय निष्पादन का आंकलन करने के लिए कमी संकेतक, राजस्व वृद्धि और व्यय प्रबंधन प्रमुख मानदण्ड है। जम्मू एवं कश्मीर राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम)/ एमटीएफपी अधिनियम, 2006 राज्य सरकार से इसके राजकोषीय घाटा को सीमित करने और इसके कर्ज प्रबंधन को वहनीय स्तर तक रखने के इसके राजकोषीय प्रबंधन में बुद्धिमत्ता को सुनिश्चित करने की अपेक्षा करता है। यह राजकोषीय क्रियाकलापों में और अधिक पारदर्शिता की भी अपेक्षा करता है।

जम्मू एवं कश्मीर एफआरबीएम/एमटीएफपी नियमावली ने केवल (क) कुल राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा (ख) जीएसडीपी की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा और (ग) जीएसडीपी की प्रतिशतता के रूप में कुल बकाया देयताओं हेतु वार्षिक लक्ष्य काउल्लेख किया।

1.6.1 एफआरबीएम/ एमटीएफपी लक्ष्यों के साथ-साथ उपलब्धियां

तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा अगस्त 2009, में पारित जम्मू एवं कश्मीर एफआरबीएम अधिनियम 2006 के अनुसार, उत्तराधिकारी जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र सरकार ने वर्ष 2022-23 हेतु संघ शासित बजट के साथ मध्यावधि राजकोषीय नीति और रणनीति ब्योरे को संसद में (मार्च 2022) प्रस्तुत किया। वर्ष 2021-22 हेतु किसी राजकोषीय संकेतकों-रोलिंग लक्ष्यों को उल्लिखित नहीं किया गया। तथापि, वर्ष 2021-22 के लेखाओं के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र सरकार के राजकोषीय मापदण्ड निम्न प्रकार थे:

क्रम संख्या	मापदण्ड	लेखा और जीएसडीपी के अनुसार वर्ष के दौरान उपलब्धियां*
1	राजस्व घाटा	लेखाओं के अनुसार वर्ष 2021-22 हेतु जीएसडीपी का 0.02 प्रतिशत ₹ 30.83 करोड़ का राजस्व घाटा और 0.5 प्रतिशत ₹ 59,238.50 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ।
2	राजकोषीय घाटा	लेखाओं के अनुसार वर्ष 2021-22 हेतु जीएसडीपी का 5.67 प्रतिशत ₹ 11,150.61 करोड़ का राजकोषीय घाटा था।
3	बकाया लोकऋण# और अन्य देयताएं	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022 (30 अक्टूबर 2019 तक लोक ऋण और अन्य देयताओं को छोड़कर ₹ 83,536.64 करोड़ बकाया थे जिन्हें अभी भी उत्तराधिकारी संघ शासित क्षेत्रों के मध्य प्रभाजित करना है।) बकाया लोक ऋण# और अन्यदेयताएं (₹ 29,335.38# करोड़) जीएसडीपी का 14.91 प्रतिशत थी।

 # कर्ज में ₹ 5,945.29 करोड़ सम्मिलित नहींजिसे भारत सरकार द्वारा जीएसटी क्षतिपूर्ति के स्थान पर एक के बाद एक ऋणों को भारत सरकार द्वारा पारित किया गया।

बकाया कर्ज सभी कर्जों और अन्य देयताओं को सम्मिलित करते हुए (जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के स्थान पर ₹ 5,945.29 करोड़ को छोड़ते हुए)

₹ 200 करोड़ के राजस्व व्यय (सहायता अनुदान ₹ 64 करोड़ एवं अनुदान ₹ 95 करोड़ राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि/ जमा ₹ 41 करोड़ पर ब्याज की अदायगी न होने के कारण) वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 31 करोड़ की बजाय ₹ 231 करोड़ का वास्तविक राजस्व घाटा था जैसा कि लेखाओं में दर्शाया गया था। ₹ 41 करोड़ तक की राजस्व न्यूनोक्ति के कारण जैसा के लघु अंशदान और राजकोषीय घाटा के ब्याज को भी उस सीमा तक न्यूनोक्त दर्शाया गया है।

1.6.2 राजस्व अधिशेष/ कमी और राजकोषीय घाटा का प्रवाह

राजस्व अधिशेष/ कमी का प्रवाह

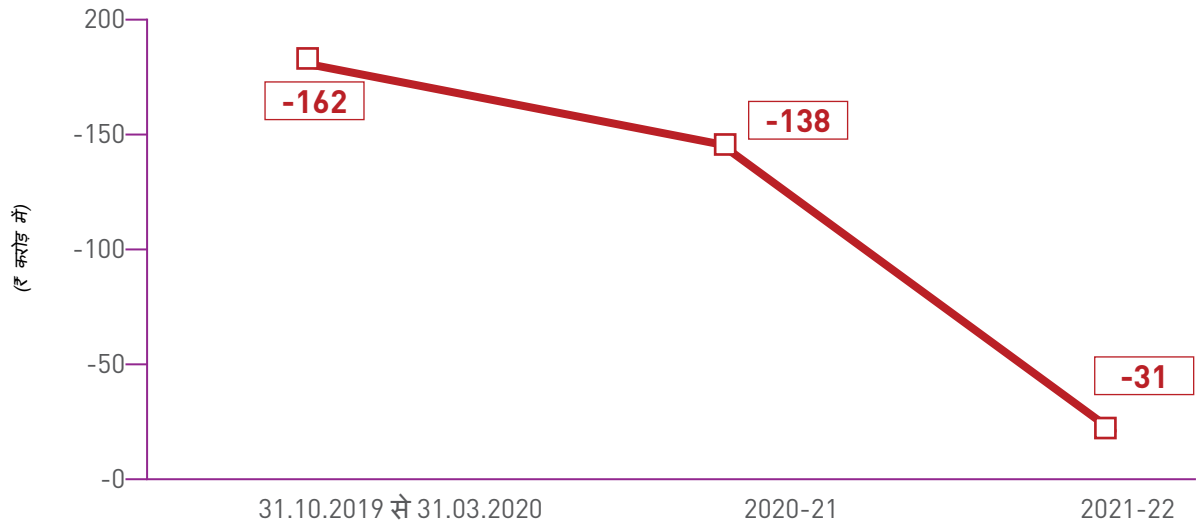

राजकोषीय घाटे का प्रवाह

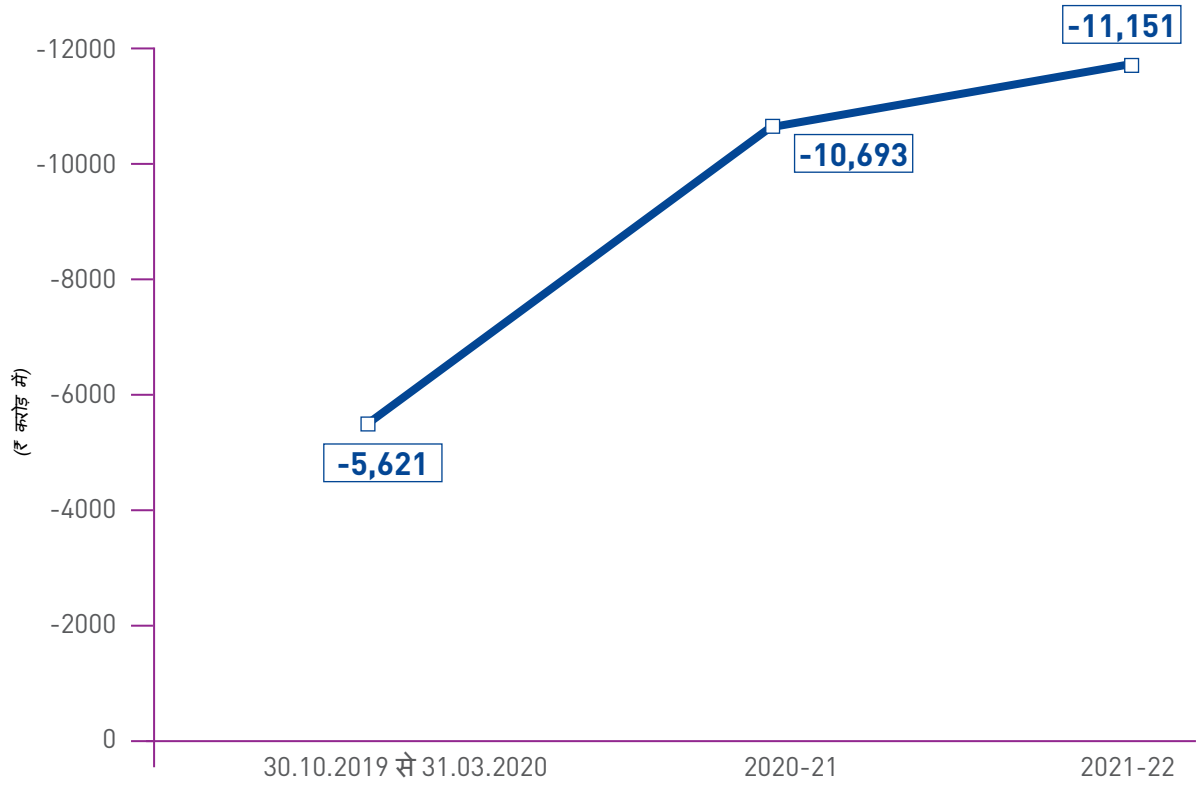

1.6.3 पूंजीगत व्यय पर खर्च की गई उधार निधियों का समानुपात

उधार निधियां और पूंजीगत खर्च

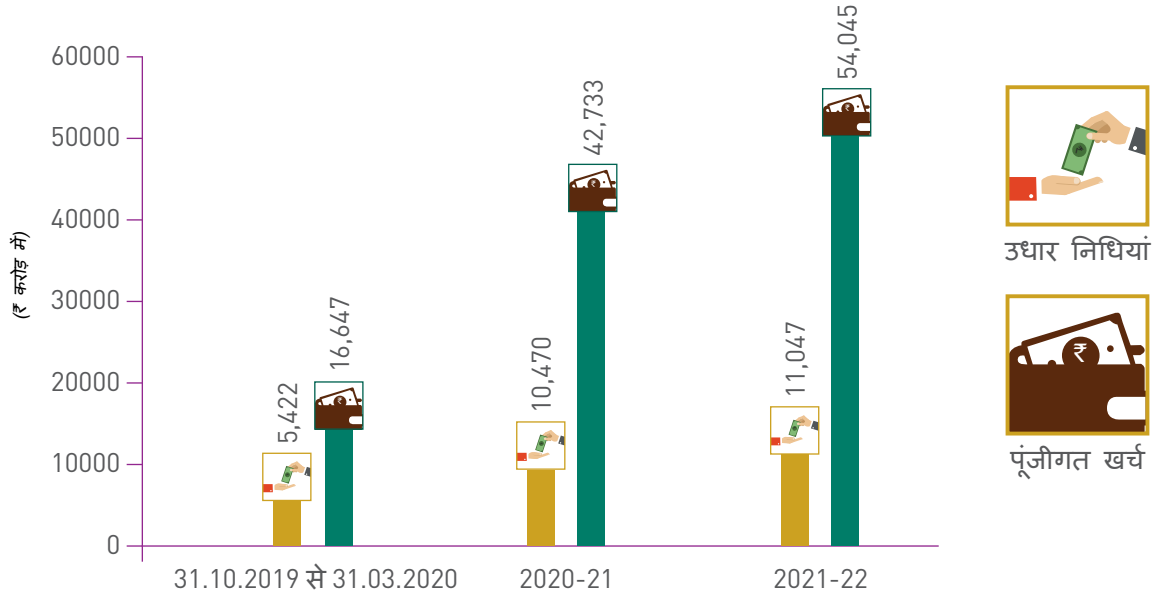

बुद्धिमत्तापूर्ण वित्तीय प्रबंधन अपेक्षा करता है कि धन को केवल पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु उधार लिया जाए और एतदद्वारा राजस्व प्राप्तियों का उपयोग मूलधन और ब्याज की पुन: अदायगी हेतु किया जाए। तथापि, लोक ऋण (₹ 42,998 करोड़) का 80 प्रतिशत का उपयोग पिछले वर्षों के लोक ऋण के मूलधन और ब्याज की पुन: अदायगी हेतु किया गया।संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने वर्तमान वर्ष (₹ 54,045 करोड़) के उधार के 20 प्रतिशत को पूंजीगत (₹ 11,047 करोड़) व्यय पर खर्च किया गया। इस राशि में ₹ 200 करोड़ का गलत वर्गीकृत राजस्व व्यय सम्मिलित है। इस राशि को देखते हुए, पूंजीगत व्यय पर खर्च किया गया उधार का प्रतिशत आगे 19 प्रतिशत तक गिर गया।

अध्याय 2

प्राप्तियाँ

2.1 परिचय

केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2021-22 के दौरान कुल प्राप्तियाँ ₹ 59,238 करोड़ थी।

2.2 राजस्व प्राप्तियाँ

सरकार की राजस्व प्राप्तियों के तीन घटक जैसे कर राजस्व, गैर कर राजस्व और केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान निहित होते है।

कर राजस्व — संविधान के अनुच्छेद 280 (3) के अंतर्गत केंद्रीय करों के राज्य और राज्य के अंश द्वारा संग्रहित और प्रतिधारित किए गए कर सम्मिलित है।

गैर कर राजस्व — ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश, लाभ, रॉयल्टी ई त्यादि सम्मिलित है।

सहायता-अनुदान — मूलतः, केंद्र सरकार से राज्य सरकार को केंद्रीय सहायता का एक रूप विदेशी स्रोतों से प्राप्त "बाहरी अनुदान सहायता" भी सम्मिलित है और केंद्र सरकार के माध्यम से चैनललाईज़ किया गया है। इसके बदले में राज्य सरकार नगर पालिकाओं, स्थानीय निकायों, गैर सरकारी संगठनों आदि संस्थानों को सहायता-अनुदान भी देती है।

राजस्व प्राप्तियाँ

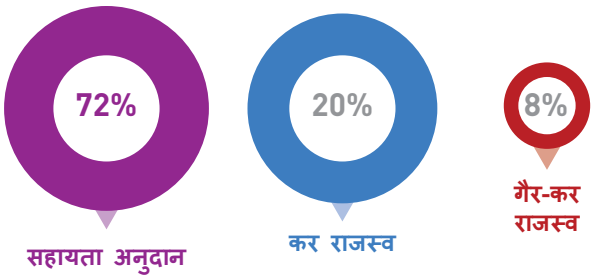

2.2.1 राजस्व प्राप्तियाँ घटक 2021-22

(₹ करोड़ में)

घटक	वास्तविक
*क. कर राजस्व**	**11,707**
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)	6,394
आय और व्यय पर कर	-
सम्पत्ति व पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	625
वस्तुओं और सेवाओं पर कर	4,688
ख. गैर-कर राजस्व	**4,840**
ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांशऔर लाभ	17
सामान्य सेवाएं	169
समाज सेवाएं	648
आर्थिक सेवाएं	4,006
ग. सहायता अनुदान व अंशदान	**42,691**
कुल-राजस्व प्राप्तियाँ	**59,238**

** वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकार को सौंपे गए निवल आगमों का कोई अंश संघ शासित सरकार द्वारा प्राप्त नहीं किया गया।*

2.2.2 राजस्व प्राप्तियों का प्रवाह

(₹ करोड़ में)

घटक	**31.10.2019 से 31.03.2020 तक**	**2020-21**	**2021-22**
कर राजस्व	4,056	8,877 (05)	11,707 (06)
गैर -कर राजस्व	2,063	4,077 (02)	4,870 (02)
सहायता अनुदान	16,438	39,542 (23)	42,691 (22)
कुल-राजस्व प्राप्तियाँ	**22,557**	**52,496 (30)**	**59,238 (30)**
वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी*	**लागू नहीं**	**1,76,282**	**1,96,696**

नोट: कोष्टक में दिए गए आकड़े (जीएडीपी) को दर्शाते है।
स्रोत:
** संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 की अवधि हेतु जीएसडीपी को उपलब्ध नहीं कराया गया।वर्ष 2020-21 हेतु ₹ 1,76,282 करोड़, वर्ष 2021-22 हेतु 1,96,696 करोड़ जैसा कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार (26.04.2021 और 26.04.2022) की वेब-साइट पर उपलब्ध है।*

राजस्व प्राप्तियों के घटकों का प्रवाह

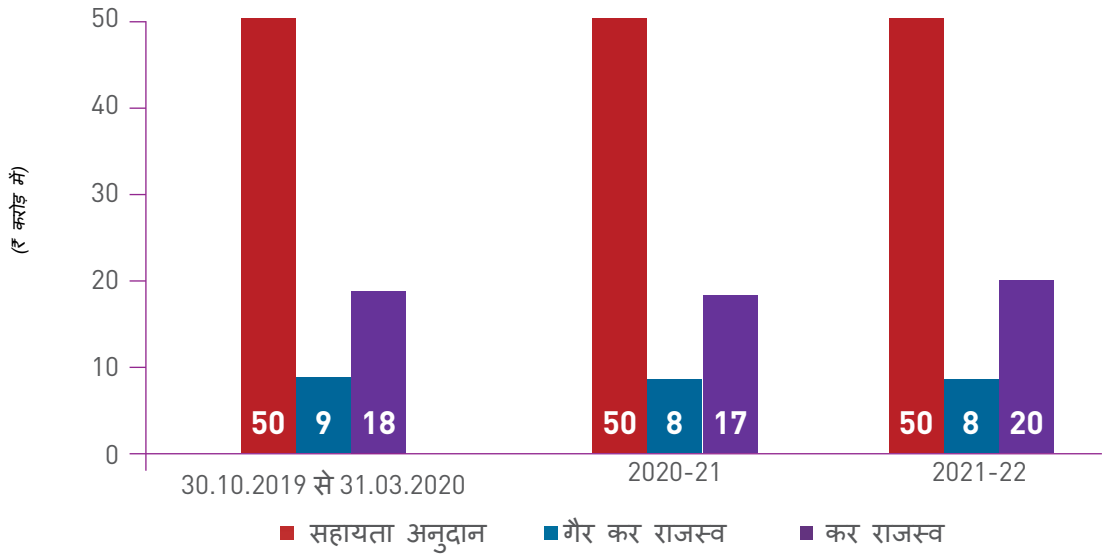

2.3 कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

घटक	31.10.2019 से 31.03.2020 तक	2020-21	2021-22
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)	2,115	4,839	6,394
आय और व्यय पर कर	-	-	-
सम्पत्ति एवं पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	166	386	625
वस्तुओं और सेवाओं पर कर	1,775	3,652	4,688
कुल कर राजस्व	**4,056**	**8,877**	**11,077**

2.3.1 संघ शासित क्षेत्र में अपने कर संग्रह की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

कर	31.10.2019 से 31.03.2020 तक	2020-21	2021-22
संघ शासित क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर	2,115	4,839	6,394
भू-राजस्व	48	61	113
स्टाम्प और पंजीकरण	118	326	512
राज्य उत्पाद शुल्क	588	1,347	1,783
बिक्री कर	782	1,496	1,906
वस्तु और यात्रियों पर कर	158	01	06
वाहनों पर कर	248	488	616
अन्य कर	01	319	377
कुल कर राजस्व	4,056	8,877	11,707

2.4 सहायता अनुदान

संघ शासित क्षेत्र को सहायता अनुदान (जीआईए), केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु समाविष्ट अनुदानों संघ शासित क्षेत्र को अन्य हस्तांतरण/ अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता का प्रतिधित्व करता है। वर्ष 2021-22 के दौरान सहायता अनुदानों के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ ₹ 42,691 करोड़ थी 2020-21 के ₹ 187 करोड़ सहित भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2021 को जारी की गई लेकिन अप्रैल 2021 में सरकार को जमा की गई जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

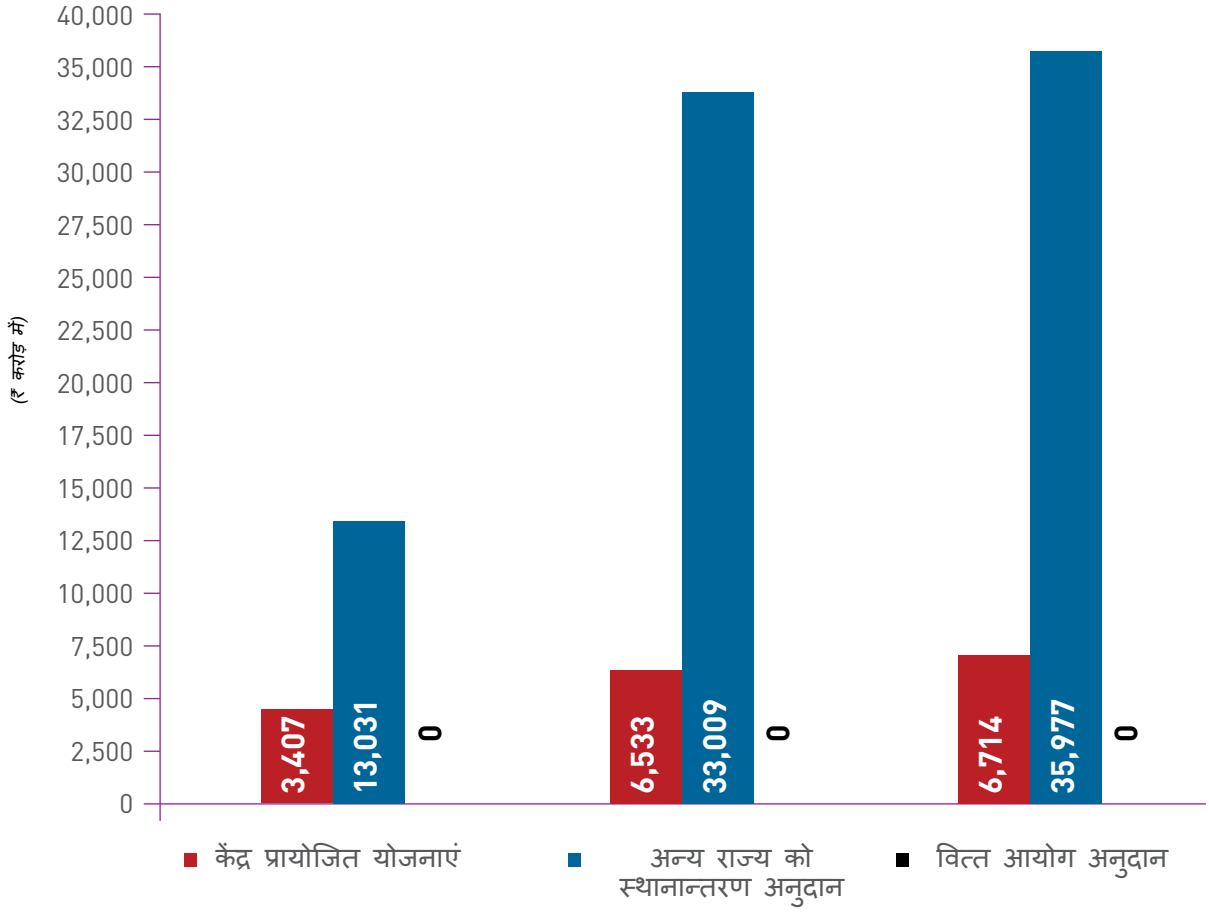

2.5 लोक ऋण

राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृति

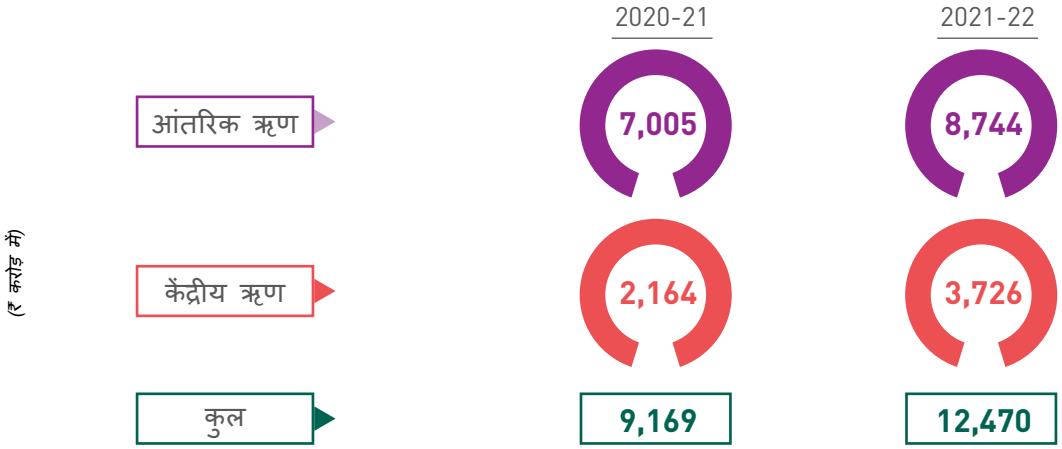

उधार ली गई निधियों के साथ-साथ पूंजीगत व्यय

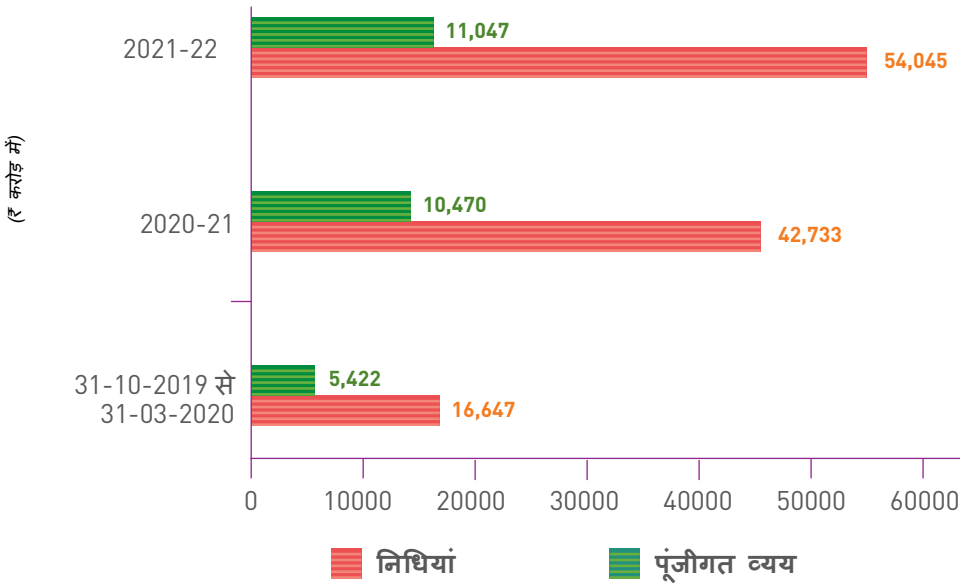

वर्ष 2021-22 के दौरान, कुल ₹ 8,562 करोड़ के 14 ऋण 6.90 प्रतिशत से 7.39 प्रतिशत की भिन्न ब्याज दरों पर खुले बाजार से उठाए गए और इन ऋणों को वर्ष 2036-37 के दौरान प्रतिदेय है। इसके अतिरिक्त, संघ शासित क्षेत्र सरकार ने वित्तीय संस्थानों से ₹ 535 करोड़ के ऋण और भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट के रूप में ₹ 36,103 करोड़ लिए। उक्त अवधि के दौरान ₹ 5,000 करोड़ की सीमा तक (जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के स्थान पर एक के बाद एक पारित किए गए ₹ 3,845 करोड़ के ऋण सम्मिलित है) केंद्र सरकार से ऋण लिए गए।

अध्याय 3

व्यय

3.1 परिचय

व्यय को राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व व्यय का उपयोग सरकार की दिन-प्रति-दिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। पूंजीगत व्यय का उपयोग स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन, या इस प्रकार की परिसंपत्तियों की उपयोगिता बढ़ाने या स्थायी देयताओं को कम करने के लिए किया जाता है।

सरकारी लेखाओं में, व्यय को शीर्ष स्तर पर तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है: सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं और आर्थिक सेवाएं। इन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यय के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों का उल्लेख नीचे दी गई तालिका में किया गया है:

- **सामान्य सेवाएं** — न्याय, ब्याज भुगतान, पुलिस, जेल, लोक निर्माण विभाग, पेंशन इत्यादि सम्मिलित है।
- **सामाजिक सेवाएं** — इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जलापूर्ति, एससी, एसटी, ओबीसी का कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, पोषण और प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत इत्यादि सम्मिलित हैं।
- **आर्थिक सेवाएं** — कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहयोग, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि सम्मिलित है।

3.2 राजस्व व्यय

वर्ष 2020-21 और 2021-22 की अवधि के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के बजट प्रावधानों के विरूध राजस्व व्यय की बचत नीचे दी गई है।

(₹ करोड़ में)

घटक	2020-21	2021-22
बजट प्रावधान	64,130	68,804
वास्तविक	52,634	59,269
बचत (-) / आधिक्य (+) में अन्तर	(-)11,496	(-)9,535
बजट अनुमान के प्रति वास्तविक आँकडों में अन्तर का प्रतिशत	(-)18	(-)14

कुल राजस्व व्यय का लगभग 75.93 प्रतिशत "प्रतिबद्ध" खर्चों जैसे वेतन पर (₹ 26,077 करोड़), पेंशन (₹ 11,563 करोड़) और ब्याज अदायगी (₹ 7,360 करोड़) पर खर्च किया गया जो कि संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं है।

वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान प्रतिबद्ध और अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय की स्थिति नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

घटक	2020-21	2021-22
कुल राजस्व व्यय	52,634	59,269
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय*	39,300	45,000
कुल राजस्व व्यय से प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का प्रतिशत	75	76
अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय	13,334	14,269

* *प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान शामिल है।*

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय केवल एक प्रतिशत की कमी आई है। वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व व्यय में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और प्रतिबद्ध है इसी अवधि में राजस्व में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

3.2.1 वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्रवार विवरण

घटक	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत
क. राजकोषीय सेवाएं	**550**	01
सम्पत्ति और पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रह	10	#
वस्तुओं और सेवाओं पर करों का संग्रह	534	01
अन्य राजकोषीय सेवाएं	06	#
ख. राज्य के अंग	379	01
ग. ब्याज भुगतान और ऋण शोधन	7,405	12
घ. प्रशासनिक सेवाएं	9,741	16
ड़. पेंशन और विविध सामान्य सेवाएं	11,565	20
च. सामाजिक सेवाएं	20,933	35
छ. आर्थिक सेवाएं	8,696	15
ज. सहायता अनुदान अंशदान	-	-
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	59,269	100

 # नगण्य

(₹ करोड़ में)

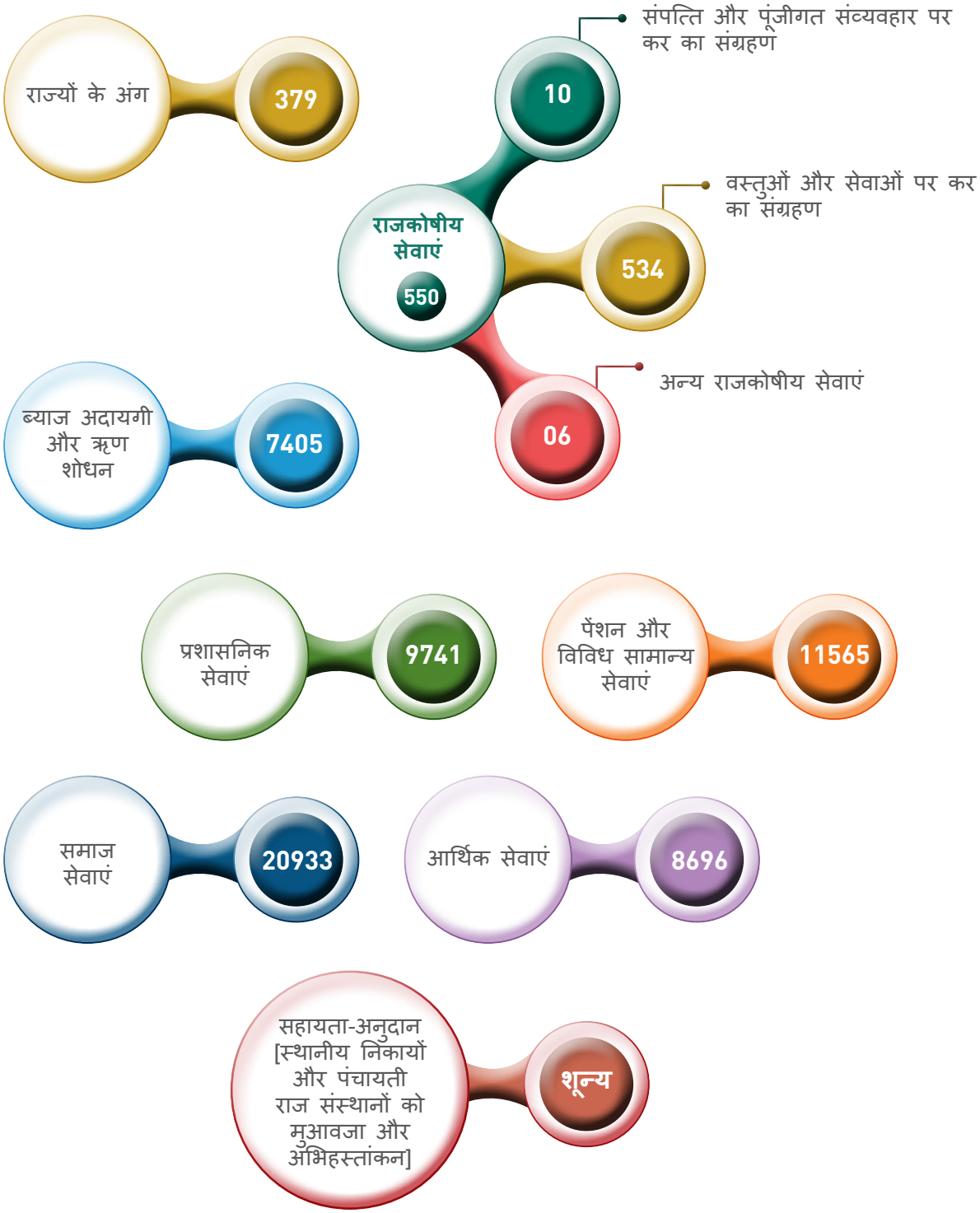
राज्यों के अंग
379
राजकोषीय सेवाएं
550
संपत्ति और पूंजीगत संव्यवहार पर कर का संग्रहण
10
वस्तुओं और सेवाओं पर कर का संग्रहण
534
अन्य राजकोषीय सेवाएं
06
ब्याज अदायगी और ऋण शोधन
7405
प्रशासनिक सेवाएं
9741
पेंशन और विविध सामान्य सेवाएं
11565
समाज सेवाएं
20933
आर्थिक सेवाएं
8696
सहायता-अनुदान [स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को मुआवजा और अभिहस्तांकन]
शून्य

3.2.2 राजस्व व्यय के प्रमुख घटक

31.10.2019 से 31.03.2020, 2020-21 और 2021-22 तक के राजस्व व्यय के मुख्य घटकों की प्रवृत्ति

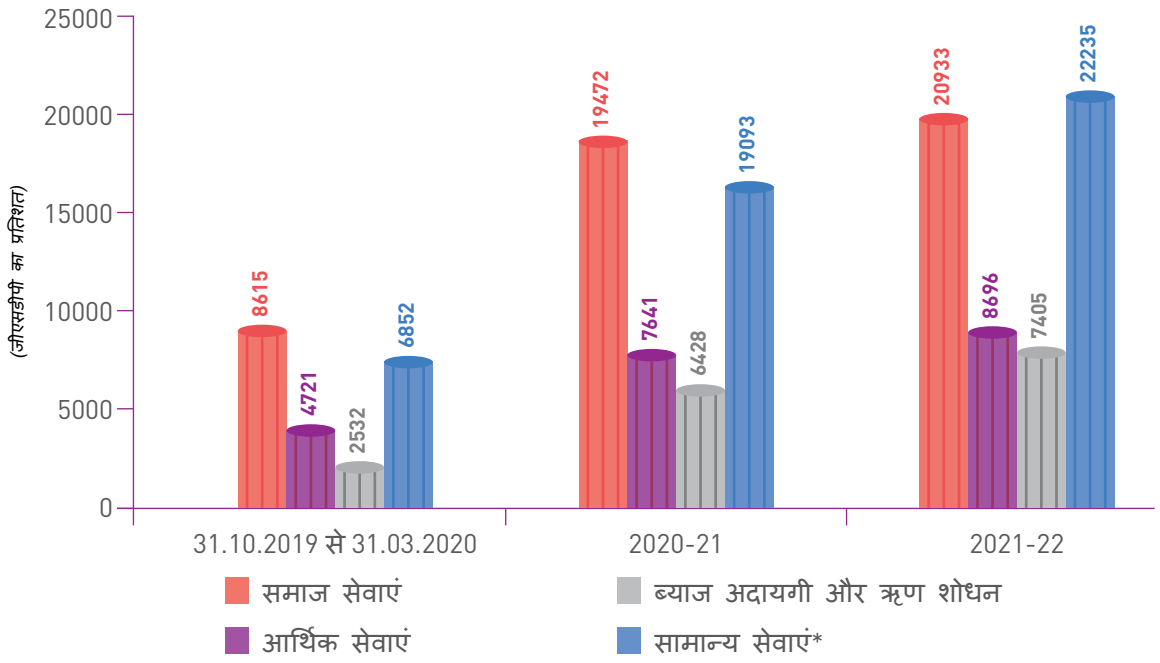

** सामान्य सेवाओं में एमएच 2048 (ऋण में कमी या परिहार हेतु विनियोग) व एमएच 2049 (ब्याज भुगतान) सम्मिलित नहीं है।*

3.3 पूंजीगत व्यय

यदि विकास प्रक्रिया को जारी रखना है तो पूंजीगत व्यय आवश्यक है। 2021-22 के दौरान पूंजीगत संवितरण ₹ 11,047 करोड़ की राशि हेतु ₹ 39,708 करोड़ के मूल अनुदान से (ऋणों और अग्रिमों हेतु ₹ 109 करोड़ के अनुदान को सम्मिलित न करते हुए) ₹ 28,661 करोड़ तक कम था। 2021-22 के दौरान ₹ 11,047 करोड़ के पूंजीगत संवितरण के अतिरिक्त, ₹ 74 करोड़ तक के ऋण व अग्रिम भी संवितरित किए गए जो पूंजीगत व्यय का अंश बने। उक्त अवधि के दौरान ऋणों और अग्रिमों ने भी मूल अनुदान (₹ 109 करोड़) के प्रति ₹ 35 करोड़ तक की बचत को दर्शाया।

क्र.सं.	घटक	31.10.2019 से 31.03.2020 तक	2020-21	2021-22
1	बजट (बजट आंकलन)	14,798	34,408	39,708
2	वास्तविक व्यय	5,422	10,495	11,047
3	बजट आंकलन से वास्तविक व्यय का प्रतिशत	37	31	28
4	पूंजीगत व्यय# में वार्षिक वृद्धि	#	#	05
5	जीएसडीपी*	*	1,76,282	1,96,696
6	जीएसडीपी# में वार्षिक वृद्धि पी#	-	#	12

 # वर्ष 2019-20 हेतु केवल पाँच महीनों के लेखा के कारण लागू नहीं (अवधि 31.10.2019 से 31.03.2020)

** जैसा कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वेब-साइट पर जीएसडीपी 2020-21 और 2021-22 के लिए ₹ 1,76,282 करोड़ और ₹ 1,96,696 करोड़ उपलब्ध है।*

3.3.1 पूंजीगत व्यय का क्षेत्रवार विवरण

वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 1,529 करोड़ पूंजीगत व्ययमें विद्युत परियोजनाओं पर (₹ 1,230 करोड़), लघु सिंचाई (₹ 62 करोड़), बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं (₹ 46 करोड़), प्रमुख और मध्यम सिंचाई (₹ 17 करोड़) और जल आपूर्ति और स्वच्छता (₹ 175 करोड़) व्यय सम्मिलित है। सरकार ने भी विभिन्न निगमों/ कम्पनियों/ सोसायटियों ₹ 69 करोड़ का निवेश किया। मुख्य निवेश जम्मू एवं कश्मीर सड़क परिवहन में था। तथापि, पीएसयू ने ₹ 573 करोड़ का निवेश दर्शाया जिसके परिणामस्वरूप आँकड़ों के दो सेट के मध्य ₹ 504 करोड़ का अन्तर हुआ।

3.3.2 पूंजीगत और राजस्व व्यय का क्षेत्रवार विवरण

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020, 2020-21 और 2021-22 की अवधि हेतु पूंजीगत और राजस्व व्यय का तुलनात्मक क्षेत्रवार वितरण नीचे दर्शाया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र		31.10.2019 से 31.03.2020 तक	2020-21	2021-22
(क)	सामान्य सेवाएं	पूंजीगत	733	776	659
		राजस्व	9,384	25,521	29,640
(ख)	समाज सेवाएं	पूंजीगत	1,493	2,492	2,723
		राजस्व	8,615	19,472	20,933
(ग)	आर्थिक सेवाएं	पूंजीगत	3,196	7,202	7,665
		राजस्व	4,721	7,641	8,696
(घ)	सहायता अनुदान और अंशदान	पूंजीगत	-	-	-
		राजस्व	-	-	-

3.4 नियोजित और अनियोजित व्यय

1 अप्रैल 2016 से, राज्य सरकार राजस्व प्रकृति के व्यय के संबंध में और 1 अप्रैल 2017 से जम्मू एवं कश्मीर के निर्माण और वन प्रभागों द्वारा किए गए पूंजीगत प्रकृति के व्यय के संबंध में लेखांकन की नागरिक प्रणाली में पदांतरण किया।

अध्याय 4

विनियोग लेखा

4.1 वर्ष 2021-22 हेतु विनियोग लेखाओं का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	प्रावधान		वास्तविक व्यय		बचत (-)/ आधिक्य (+)	
				सकल	निवल	सकल	निवल	सकल	निवल
1.	**राजस्व**	68,804	(-)1,567	67,237	67,237	59,269	59,269	(-)7,968	(-)7,968
2.	**पूंजीगत**	35,483	(-)4,616	30,867	30,839	11,068	11,050	(-)19,799	(-)19,789
3.	**लोक ऋण**	26,436	15,140	41,576	41,576	41,575	41,575	(-)01	(-)01
4.	**ऋण एवं अग्रिम**	109	6,00	115	115	71	71	(-)44	(-)44
5.	कुल	1,30,832	8,963	1,39,795	1,39,767	1,11,983	1,11,965	(-)27,812	(-)27,802

4.2 बचत/ आधिक्य की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

बचत (-)/ आधिक्य (+)					
वर्ष	राजस्व	पूंजीगत	लोक ऋण	ऋण और अग्रिम	कुल
31.10.2019 से 31.03.2020	(-)8,675	(-)8,341	(+)3,096	(-)49	**(-)13,969**
2020-21	(-)11,563	(-)32,295	(+)7,094	(-)46	**(-)36,810**
2021-22	(-)7,968	(-)19,799	(-)01	(-)44	**(-)27,812**

4.3 महत्वपूर्ण बचतें

अनुदान के अंतर्गत पर्याप्त बचत निश्चित योजनाओं/ कार्यक्रमों के या तो गैर-कार्यान्वयन या धीमे कार्यान्वयन को इंगित करती है।

महत्त्वपूर्ण निवल बचत सहित कुछ अनुदान नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

अनुदान	नामांकन	31.10.2019 से 31.03.2020 तक	2020-21	2021-22
03	योजना	639 (65)	945 (62)	1,239 (68)
06	विद्युत विकास	4,557 (63)	13,999 (80)	3,564 (45)
10	कानून	301 (45)	506 (55)	367 (48)
15	खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले	206 (45)	466 (64)	305 (52)
18	समाज कल्याण	738 (46)	820 (33)	1,131 (36)
20	पर्यटन	215 (55)	637 (77)	211 (45)
22	सिंचाई	474 (56)	1,757 (71)	756 (52)
23	सार्वजनिक स्वास्थ अभियांत्रिका	...	...	2,063 (52)
25	श्रम, स्टेशनरी और मुद्रण	...	...	64 (42)
28	ग्रामीण विकास	...	...	3,196 (64)
30	जनजातीय मामले	...	...	239 (58)
31	संस्कृति	...	...	287 (86)
34	युवा सेवाएं और तकनीकी शिक्षा	...	...	298 (35)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए आँकड़े निवल बचत की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

अध्याय 5

परिसंपत्तियाँ और देयताएं

5.1 परिसंपत्तियाँ

लेखाओं का वर्तमान स्वरूप, वर्ष के दौरान भूमि अधिग्रहण/ क्रय के अतिरिक्त, शासकीय परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन इत्यादि का मूल्यांकन स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाते है। इसी प्रकार, लेखे वर्तमान वर्ष में उत्पन्न होने वाली देयताओं का प्रभाव प्रस्तुत करते है, जबकि वे ब्याज की दर और वर्तमान ऋणों की अवधि द्वारा सीमित सीमा के अतिरिक्त भावी पीढ़ियों पर देयताओं का समग्र प्रभाव नहीं दर्शाते।

वित्त लेखे में सरकारी निवेश पर सूचना प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के माध्यम से संबंधित निवेश प्राप्तकर्ता इकाई से प्राप्त सूचना पर आधारित है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर सरकार के संबंधित विभागों (वित्त सहित) द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है। 2021-22 के दौरान, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की सरकार ने निवेश के रूप में ₹ 69.37 करोड़ की राशि दर्ज की। बुक की गई राशि के विरुद्ध, संबंधित पीएसयू ने ₹ 573.01 करोड़ का निवेश दर्शाया है जिसके परिणामस्वरूप आंकड़ों के दो सेटों के बीच ₹ 503.64 करोड़ का अंतर है। चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने अब वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर सरकार के वार्षिक वित्त खातों में प्रतिबिंब के लिए ₹ 143.73 करोड़ की राशि के निवेश का विवरण (प्रधान महालेखाकार, लेखा परीक्षा के माध्यम से) प्रस्तुत किया है। यह निवेश केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (पुनर्गठन के बाद) से संबंधित वर्ष 2020-21 से संबंधित है और इकाई द्वारा पहले सूचित नहीं किया गया था। चूंकि निवेश पिछले वर्षों (2020-21) से संबंधित है, इसलिए इसे 31 मार्च 2021 तक संचयी शेष राशि में जोड़ा गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर सरकार ने 31 मार्च 2022 (31) तक ₹ 879.13 करोड़ का निवेश किया था। अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022) ने 2021-22 के दौरान कोई लाभांश नहीं दिया। 31 मार्च 2022 तक प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के माध्यम से पीएसयू द्वारा सूचित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर सरकार के निवेश का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

वर्ग	संस्थानों की संख्या	वर्ष 2021-22 के अंत में निवेश
वैधानिक निगम	2	191.90
ग्रामीण बैंक	2	2.35
सरकारी कंपनियां	39	445.03$
अन्य ज्वाइंट स्टॉक कंपनियां और साझेदारी	2	-
सहकारी बैंक और सोसायटी	8	239.85*
कुल	53	879.13

$ 2020-21 के दौरान निवेश किए गए ₹ 143.73 करोड़ शामिल हैं, क्योंकि चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ष 2020-21 के लिए संशोधित आंकड़े प्रस्तुत किए हैं।

** रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों से सहकारी समितियों में निवेश की अद्यतन जानकारी (जुलाई 2022) की प्रतीक्षा के कारण, पिछले खातों में दिखाए गए 31 मार्च 2020 तक के निवेश को चालू खातों में दर्शाया गया है।*

जम्मू और कश्मीर सड़क परिवहन निगम ने अब वर्ष 2021-22 के लिए संघ शासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार के वार्षिक वित्त खातों में प्रतिबिंब के लिए ₹ 3.00 करोड़ की राशि के निवेश का विवरण (प्रधान महालेखाकार, लेखा परीक्षा के माध्यम से) प्रस्तुत किया है। ये निवेश अविभाजित जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित 30 अक्टूबर 2019 को समाप्त अवधि से संबंधित हैं और इकाई द्वारा पहले सूचित नहीं किया गया था। चूंकि निवेश पिछले वर्षों (30 अक्टूबर 2019 तक) से संबंधित है, इसलिए इन्हें 30 अक्टूबर 2019 तक संचयी शेष राशि में जोड़ा गया है।

30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) के अंत में 52 संस्थाओं में तत्कालीन राज्य द्वारा किया गया कुल निवेश (संशोधित आंकड़े) ₹ 4,620.16 करोड़ था, जो निवेशिती संस्थाओं द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को प्रदान की गई जानकारी/डेटा के आधार पर था और सरकार से समझौता नहीं किया। इन निवेशों का विभाजन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख (अगस्त 2022) के बीच किया जाना बाकी है। खातों में दिखाए गए निवेश को उत्तराधिकारी केंद्र शासित प्रदेशों के बीच बंटवारे से पहले सरकार के साथ संस्थाओं द्वारा सामंजस्य की आवश्यकता होती है।

31 मार्च 2022 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022 तक) को जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र (पुनर्गठन पश्चात) का रोकड़ शेष प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के अभिलेख अनुसार ₹ 1,447.65 करोड़ (डेबिट) था प्रधान महालेखाकार और आरबीआई {जैसा कि प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी द्वारा कार्य किया गया है)} के अभिलेख अनुसार ₹ 1,445.27 करोड़ (क्रेडिट) था। संघ शासित सरकार और अभिकरण बैंक के मध्य गैर समाधान के कारण, ₹ 1.92 करोड़ (क्रेडिट) का निवल अन्तर था।

30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) को आरबीआई और प्रधान महालेखाकार के आँकड़ों के मध्य ₹ 83.32 करोड़ (क्रेडिट) का भी निवल अन्तर था जिसे अभी भी जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र और लद्दाख संघ शासित क्षेत्रों के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

इसके अतिरिक्त, संघ शासित क्षेत्र सरकार ने वर्ष 2021-22 के दौरान 27 अवसरों पर 14 दिनों के कोषागार बिलों में ₹ 15072 करोड़ की राशि और 38 अवसरों पर ₹ 15,072 करोड़ के मूल्य के पुन: छूट प्राप्त कोषागार बिलों पर निवेश किया। वर्ष 2021-22 के दौरान निवेश की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

भारत सरकार के कोषागार बिलों में रोकड़ शेष निवेश			
1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष 2021-22 के दौरान खरीद	वर्ष 2021-22 के दौरान बिक्री	31 मार्च 2021 को अंत शेष
-	15,072	15,072	-
384*	-	-	**384***

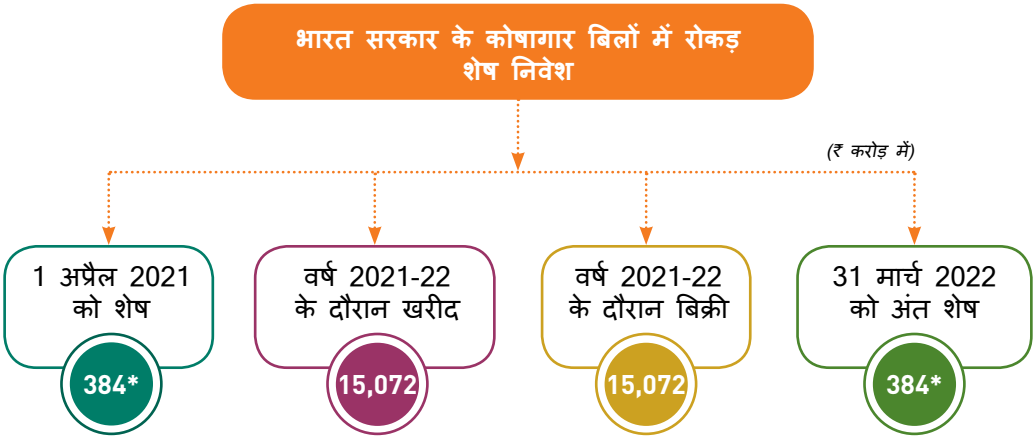

(*) तालिका में बोल्ड में दिखाई गई राशि 14 दिनों के ट्रेजरी बिलों में कैश बैलेंस निवेश के तहत 30 अक्टूबर 2019 (पूर्व पुनर्गठन) के अंत तक की शेष राशि का प्रतिनिधित्व करती है जिसे अभी तक उत्तराधिकारी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और के बीच विभाजित किया जाना है। कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख।

5.2 ऋण और देयताएँ

भारत का संविधान संघ शासित क्षेत्र सरकार को ऐसी सीमाओं के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र की समेकित निधि की प्रतिभूति पर उधार लेने की शक्ति प्रदान करता है, यदि कोई हो, जैसा कि समय-समय पर संघ शासित विधानमंडल द्वारा समय-समय पर निश्चित किया जाए।

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022 (पुनर्गठन पश्चात) संघ शासित सरकार के लोक ऋण और अन्य देयताओं का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

(आँकड़े प्रगामी शेष है)						
वर्ष	लोक ऋण	*जीएसडीपी* को ऋण*	लोक लेखा**	*जीएसडीपी* को प्रतिशत*	कुल देयताएं	*जीएसडीपी* को प्रतिशत*
31.10.2019 से 31.03.2020 तक	3,498	*	2,002	*	5,500	*
2020-21	10,568	6.00	4,313	2.44	14,881	8.44
2021-22	19,193#	9.76	4,197	2.13	23,390#	11.89

** संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि हेतु जीएसडीपी आँकड़ों को उपलब्ध नहीं कराया गया। वर्ष 2020-21 हेतु जीएसडीपी, ₹ 1,76,282 करोड़ है और वर्ष 2021-22 हेतु जीएसडीपी ₹ 1,96,696 करोड़ है, जैसा कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वेब-साइट पर उपलब्ध है।*

*** अग्रिम, उचंत व विविध और प्रेषण शेष सम्मिलित नहीं है।*

 # वर्ष 2021-22 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के बदले भारत सरकार द्वारा एक के बाद एक पारित किए गए ₹ 5,945 करोड़ के ऋण सम्मिलित नहीं है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, लोक ऋण और अन्य देयताओं ने भारत सरकार (जीओआई) ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति में कमी के स्थान पर एक के बाद एक ऋणों के रूप में ₹ 5,945 करोड़ के ऋण को पारित किया, को छोड़ कर) ₹ 8,628 करोड़ की निवल वृद्धि दर्शाई।

सरकार की देयताओं में प्रवाह

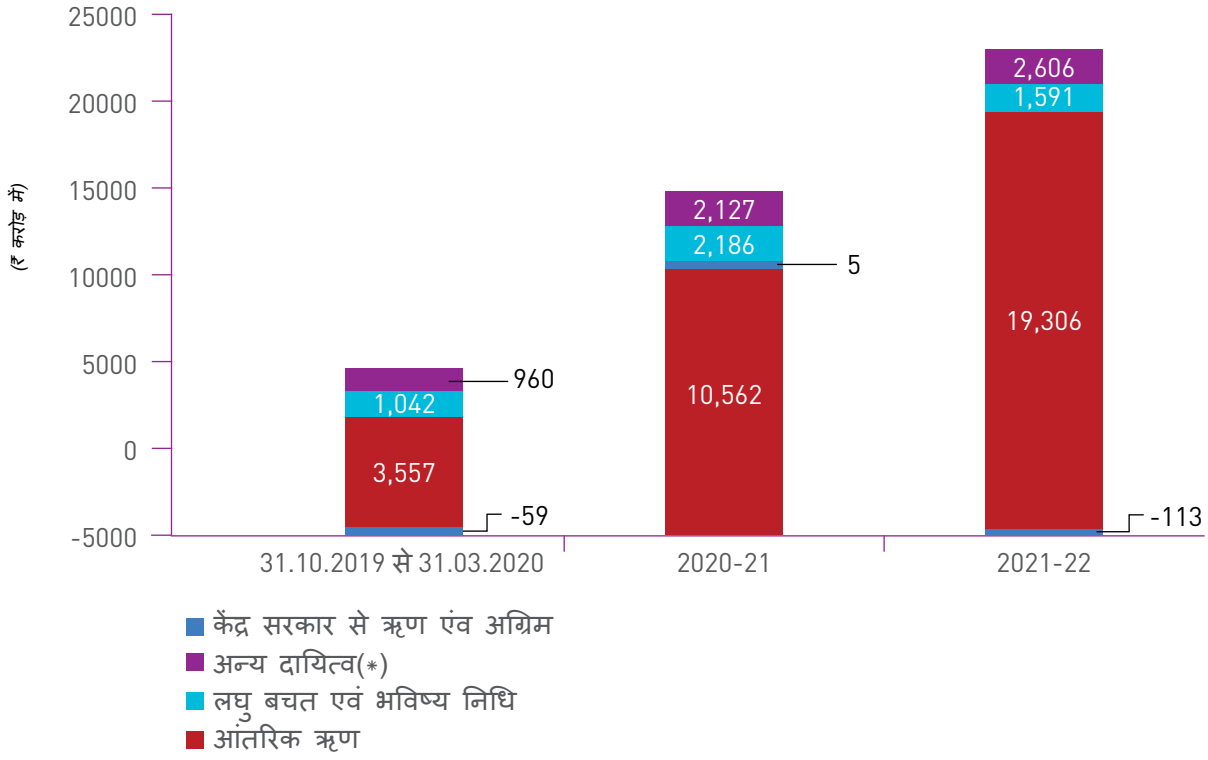

30 अक्टूबर 2019 को (पुनर्गठन पूर्व), ₹ 83,537 करोड़ का बकाया शेष भी था जिसे अभी भी उत्तराधिकारी जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र और लद्दाख संघ शासित क्षेत्र के मध्य प्रभाजित करना है। तथापि, उक्त राशि को संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित किया गया है।

5.3 प्रत्याभूतियाँ

सीधे ऋण जुटाने के अतिरिक्त,संघ शासित सरकार सरकारी कम्पनियों और निगमों द्वारा विभिन्न आयोजनागत योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बाजार और वित्तीय संस्थानों से उठाए गए ऋणों की गारंटी भी देती है। इन प्रत्याभूतियों को संघ शासित बजट से बाहर प्रस्तुत किया जाता है। सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, सहकारी समितियों इत्यादि द्वारा उठाए गए ऋणों (मूलधन और उस पर ब्याज का भुगतान) के पुन: भुगतान के लिए संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा प्रत्याभूतियों की स्थिति प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू एवं कश्मीर के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष के अंत में	अधिकतम प्रत्याभूतित राशि (केवल मूलधन)	वर्ष के अंत में बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
31.10.2019 से 31.03.2020 तक	5,204	1,325	-
2020-21	12,564	1,486	-
2021-22	13,449	12,329	-

नोट: वित्त लेखा के विवरण संख्या 20 में ब्योरा उपलब्ध है। आँकड़े संघ शासित क्षेत्र सरकार के साथ मिलान के अधीन है।

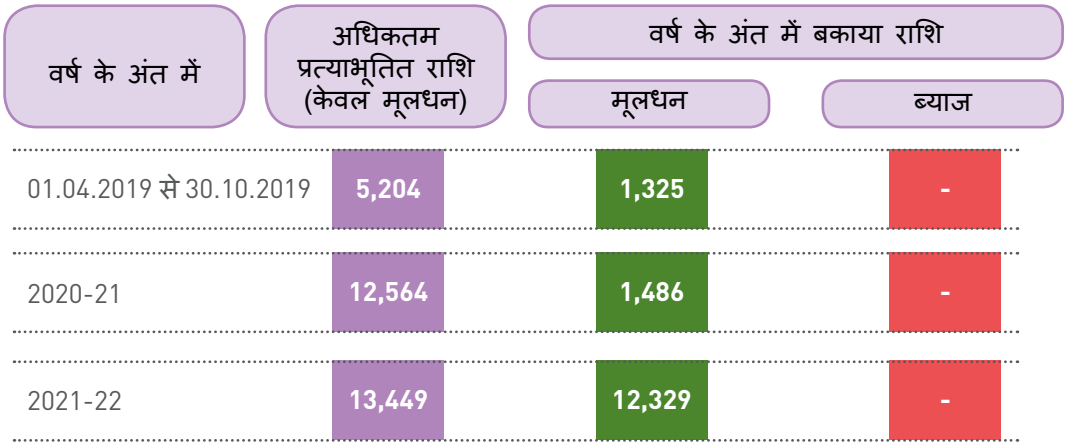

30 अक्टूबर 2019 को समाप्त होने वाले ₹ 452 करोड़ मूलधन और ₹ 02 करोड़ ब्याज की बकाया गारंटी, जैसा कि ऊपर तालिका में दिखाया गया है, जम्मू के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप 31 अक्टूबर 2019 (नियत दिन) से नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विभाजित किया जाना बाकी है। और कश्मीर राज्य अर्थात, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख।

अध्याय 6

अन्य मदें

6.1 सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम

सरकारी सेवकों (जिसके लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), जम्मू एवं कश्मीर ब्योरेवार लेखाओं का अनुरक्षण करता है) को दिए गए ऋणों और अग्रिमों के अतिरिक्त, जैसा कि प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को सौंपे गए लेखाओं द्वारा प्राप्त सूचना पर आधारित अन्य सभी ऋणों और अग्रिमों की सूचना को विवरण 7 और 18 में दर्शाया गया है। विवरण 7 और 18 में दर्शाए गए अंत शेषों को 31 मार्च 2022 तक ऋण लेने वाली संस्थाओं/ संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के साथ मिलान नहीं किया गया है। तथापि, विवरणों में बकायों की वसूलियाँ और उस पर खर्च किए गए ब्याज का ब्योरा निहित नहीं है जैसा कि उक्त सूचना संघ शासित क्षेत्र सरकार (जुलाई 2022) से प्रतीक्षित है। वर्ष 2021-22 के दौरान, ₹ 73.77 करोड़ तक की राशि के ऋणों (सरकारी सेवकों को शून्य सम्मिलित) को संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं को दिया गया और ₹ 1.03 करोड़ ऋणों की अदायगी के रूप में (सरकारी सेवकों से ₹ 0.78 करोड़) को ₹ 168.26 करोड़ का निवल बकाया ऋण छोड़ते हुए अन्य संस्थाओं से ₹ 0.25 करोड़) 31 मार्च 2022 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022) की प्राप्ति हुई। ₹ 168.26 करोड़ के अतिरिक्त, 30 अक्टूबर 2019 को ऋणों और अग्रिमों के अंतर्गत तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर सरकार से संबंधित ₹ 1,740.44 करोड़ का बकाया शेष था जिसे अभी भी जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र और लद्दाख संघ शासित क्षेत्र के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

संबंधित विभागों द्वाराबकायों में वसूलियों संबंधी सूचना (मूलधन और ब्याज दोनों) को प्रत्येक वर्ष प्रधान महालेखाकार को प्रदान करना अपेक्षित है। वर्ष 2021-22 के दौरान इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

6.2 स्थानीय निकायों और अन्य को वित्तीय सहायता

वर्ष 2021-22 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा निर्मोचित सहायता अनुदान ₹ 4,871 करोड़ थी। अवधि के दौरान शहरी स्थानीय नगर निगम को प्रदान किया गया अनुदान सम्मिलित है। 2021-22 के दौरान नगरपालिकाओं को सम्मिलित करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को प्रदत्त अनुदान ₹ 644 करोड़ था जो इस अवधि के दौरान दिये गये कुल अनुदान का 13.22 प्रतिशत है।

स्थानीय निकायों और अन्य को वित्तीय सहायता

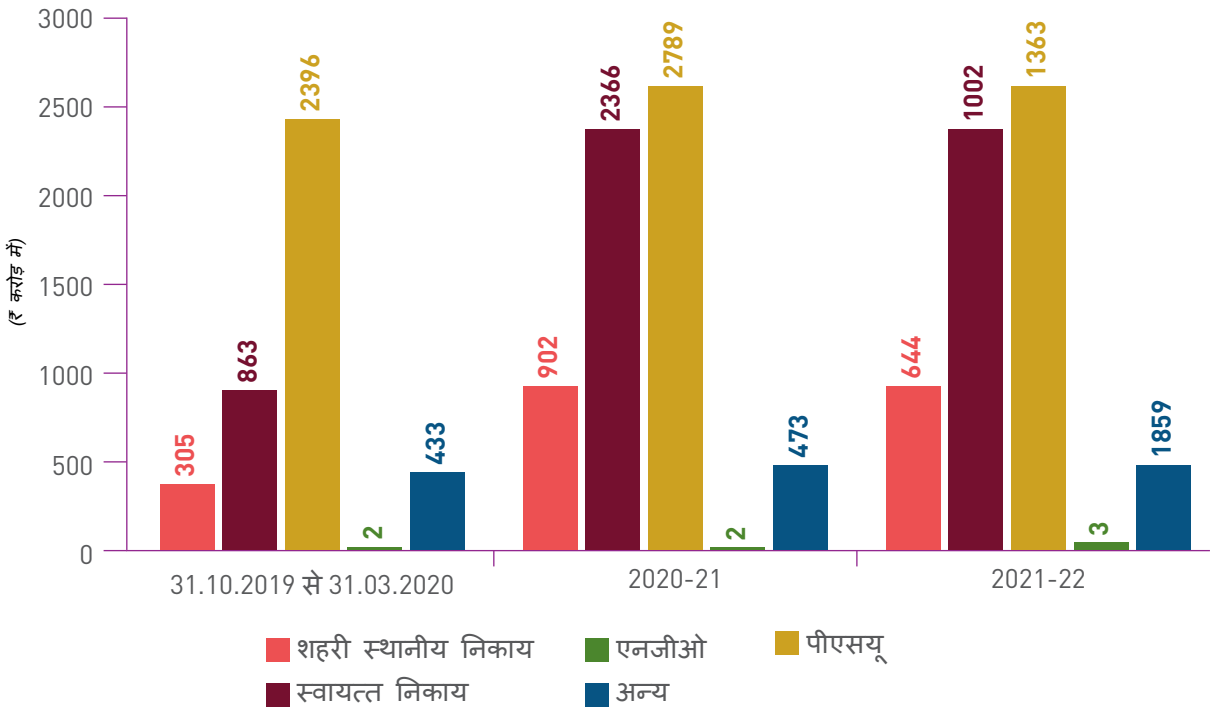

6.3 रोकड़ शेष

(₹ करोड़ में)

घटक	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2022 तक
रोकड़ शेष	1,448	1,448
	(-)42	**(-)42**
कोषागारों और स्थानीय प्रेषणों में रोकड़	-	-
	07	07
विभागीय शेष	-	-
	05	05
स्थायी अग्रदाय	-	-
	*	*
आरबीआई और अन्य बैंकों के साथ जमा	1,448	1,448
	(-)449	**(-)449**
रोकड़ शेष निवेश		-
	384	**384**
चिन्हित निधि शेषों से निवेश	-	-
	11	11

** नगण्य (₹ 0.12 करोड़ मात्र)*

बोल्ड में आँकड़े 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति पर जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में प्रतिधारित शेषों का प्रतिनिधित्व करते है, जिन्हें अभी भी जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र और लद्दाख संघ शासित क्षेत्र के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

6.4 मासिक खातों को बंद करने के पश्चात कोषागारों द्वारा खातों को फ्रीज न करना

मासिक खातों को बंद करने के पश्चात कोषागारों द्वारा खातों को फ्रीज न करने से प्रधान महालेखाकार कार्यालय को मासिक खाते जमा करने के बाद डेटा हेरफेर की गुंजाइश हो सकती है तथा प्रधान महालेखाकार कार्यालय और संघ शासित क्षेत्र सरकार के मध्य आंकड़े/डेटा का त्रुटिपूर्ण मिलान हो सकता है। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में, मासिक खातों को बंद करने और उन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के कार्यालय में भेजने के पश्चात एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में मासिक खातों को फ्रीज करने का कोई प्रावधान नहीं है।

6.5 लेखों का मिलान

लेखाओं की सटीकता और विश्वसनीयता, अन्य बातों के मध्य, समय पर प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा संकलित लेखाओं में प्रकट होने वाले आँकड़ों के साथ विभाग के साथ उपलब्ध आँकड़ों के मिलान पर निर्भर करती है। यह प्रयोग संबंधित मुख्य नियंत्रक अधिकारियों/ नियंत्रक अधिकारियों द्वारा किया जाता है। वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 53,275.15 करोड़ की राशि तक प्राप्तियाँ (लोक ऋण को सम्मिलित न करते हुए ₹ 59,238.50 की कुल प्राप्तियों का 89.93 प्रतिशत) और ₹ 49,058.57 करोड़ (लोक ऋण को सम्मिलित न करते हुए ₹ 70,316.36 करोड़ के कुल व्यय का 69.77 प्रति शत) की राशि के व्यय को जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित सरकार द्वारा मिलान किया गया।

6.6 लेखा प्रस्तुत करने वाली इकाइयों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

जम्मू एवं कश्मीर सरकार की प्राप्तियों और व्यय के लेखाओं का 20 जिला कोषागारों को सम्मिलित करते हुए 122 कोषागारों द्वारा सौंपे गए प्रारम्भिक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्शों के आधार पर संकलन किया गया है। 1 अप्रैल 2016 से जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने पूंजीगत खण्ड से संबंधित और अप्रैल 2017 से निर्माण और वन प्रभागों के संबंध में, राजस्व खण्ड संबंधी नागरिक लेखांकन प्रणालीमें पदांतरण किया। तदनुसार, 2021-22 के दौरान निर्माण और वन प्रभागों से कोई मासिक लेखा बकाया नहीं था। 31 मार्च 2021 की समाप्ति पर कोई लेखा नहीं छोड़ा गया।

6.7 परामर्श बिना नए उप शीर्षों/ विस्तृत लेखा शीर्षों को खोलना

वर्ष 2021-22 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित सरकार ने प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) की सलाह के बिना बजट में किसी उप-शीर्ष को नहीं खोलाजैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित है।

6.8 वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य/संघ शासित क्षेत्र जीएसटी संग्रह 2020-21 में ₹ 4,839.35 करोड़ की तुलना में ₹ 1,554.96 (32.13 प्रतिशत) करोड़ की वृद्धि पंजीकृत करते हुए ₹ 6,394.31 करोड़ था। इसमें ₹ 4,334.63 करोड़ की राशि के आईजीएसटी का अग्रिम प्रभाजन सम्मिलित है।संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार को 2021-22 के दौरान जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के कारण राजस्व प्राप्ति के रूप में ₹ 892.56 करोड़ का प्रतिकर प्राप्त हुआ।

राज्य के संघ शासित क्षेत्र के रूप में पुनर्गठन के परिणामस्वरूप जम्मू एवं कश्मीर सरकार वस्तु एवं सेवाओं के अंतर्गत राज्य को निवल लाभों का कोई अंश नहीं सौंपा गया।

आगे, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की सरकार को भी 2021-22 के दौरान ₹ 3,845.49 करोड़ का ऋण (31 मार्च 2022 तक कुल ₹ 5,945.29 करोड़ का ऋण) जीएसटी प्रतिकर के बदले केंद्र सरकार से बैंक-टू-बैंक ऋण

के रूप में प्राप्त हुआ, जिसे भारत सरकार के व्यय विभाग के निर्णय के अनुसार वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए संघ शासित क्षेत्र सरकार के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

6.9 असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिल

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने सार आकस्मिक (एसी) बिलों का आहरण करने तथा उनके निपटान हेतु कोडल प्रावधानों को संशोधित नहीं किया है। तथापि, तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के वित्तीय कोड खंड-I (पैरा 7.18) की परिकल्पना की गई है, जब आकस्मिक व्यय हेतु कोषागार से धन का आहरण आवश्यक समझा जाता है, जिसके वाउचरों को आहरण व संवितरण अधिकारी (डीडीओ) के भुगतान से पूर्व वाउचर आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता हैं, वैसी स्थिति में एसी बिल के माध्यम से राशि आहरण हेतु अधिकृत है। तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य (पुनर्गठित-पूर्व) वित्तीय संहिता पैरा 7.10 के संदर्भ में, डीडीओ को अंतिम व्यय के समर्थन में वाउचर युक्त विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसीसी) बिल प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने के भीतर प्रस्तुत करना अपेक्षित है जिस प्रयोजन के लिए अग्रिम आहरित किया गया था।

(क) वर्ष 2021-22 के दौरान आहरित ₹ 5,122.00 करोड़ के 554 एसी बिलों में से, मार्च 2022 में ₹ 1,848.60 करोड़ (36.09 प्रतिशत) की राशि के 391 एसी बिलों का आहरण किया गया। कुल 1,139 एसी बिलों के संबंध में डीसीसी बिल 31 मार्च 2022 तक ₹ 11,448.03 करोड़ प्राप्त नहीं हुए थे। 31 मार्च 2022 तक डीसीसी बिलों को जमा करने के लंबित असमायोजित एसी बिलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष (*)	असमायोजित एसी बिलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
वर्ष 2020-21 तक (31.10.2019 से 31.01.2021 तक)	354	5,267.71
2021-22 (01.02.2021 से 31.01.2022 तक)	785	6,180.32
कुल	**1,139**	**11,448.03**

(*) ऊपर वर्णित वर्ष "नियत वर्ष" से संबंधित है, अर्थात। 31 मार्च 2022 खाते तक वास्तविक निकासी और समायोजन के 2 महीने बाद।

(ख) इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2021 को बकाया ₹ 6,885.63 करोड़ की राशि के 2,237 एसी बिलों में से 30 अक्टूबर 2019 तक (पुनर्गठन पूर्व) तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य द्वारा, 5,830.41 करोड़ रुपये की राशि के 2,154 एसी बिलों के संबंध में 31 मार्च 2022 तक डीसीसी बिल प्रतीक्षित थे। इन बकाया एसी बिलों का दृिभाजन उत्तरवर्ती संघ शासित क्षेत्रों अर्थात संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य किया जाना शेष है।

6.10 लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय और 800-अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत बुकिंग

लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/800-अन्य प्राप्तियां का केवल तभी संचालन किया जाना चाहिए जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखों को अपारदर्शी बनाता है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, 36 प्रमुख लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 4,289.52 करोड़ (₹ 1.20 करोड़ निवेश सहित), कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय का 6.10 प्रतिशत (₹ 70,316.36 करोड़) को लेखों में लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था।

इसी प्रकार, 37 प्रमुख लेखा शीर्षों के कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 59,238.50 करोड़) के 6.98 प्रतिशत के अन्तर्गत ₹ 4,134.84 करोड़ (विद्युत की बिक्री और विविध विद्युत प्राप्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ₹ 2,715.77 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों सहित) को लेखों में 800-अन्य प्राप्तियाँ के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था।

6.11 राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा पर प्रभाव

वर्ष 2021-22 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र सरकार के राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा पर प्रभाव को नीचे सारणीकृत किया गया है:

मद (उदाहरणात्मक)	राजस्व घाटे पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
	अध्युक्ति (₹ करोड़ में)	निम्नोक्ति (₹ करोड़ में)	अध्युक्ति (₹ करोड़ में)	निम्नोक्ति (₹ करोड़ में)
राजस्व और पूंजीगत के मध्य त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण	कोई प्रभाव नहीं	158.76	कोई प्रभाव नहीं	कोई प्रभाव नहीं
राज्य प्रतिकर वनरोपण निधि पर ब्याज की गैर अदायगी	कोई प्रभाव नहीं	25.61	कोई प्रभाव नहीं	25.61
राज्य प्रतिकर वनरोपण जमा पर ब्याज की गैर अदायगी	कोई प्रभाव नहीं	15.92	कोई प्रभाव नहीं	15.92
कुल (निवल) प्रभाव	**200.29**		**41.53**	

6.12 बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने सहायता अनुदान के आहरण और उसके उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) जमा करने से संबंधित संशोधित नियम नहीं बनाए हैं। तथापि, तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य (पुनर्गठन-पूर्व) के वित्तीय कोड खंड-I, पैरा 10.19 के अनुसार अनुदान प्राप्त करने वाले द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी), अनुदानग्राही द्वारा अनुदान प्राप्त होने की तारीख से 18 महीने के भीतर या उसी विषय पर आगे अनुदान के लिए आवेदन करने से पहले, जो भी पहले हो जारी करने वाले अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यूसी जमा न करने की सीमा तक, एक जोखिम है कि वित्त लेखों में दर्शाई गई राशि लाभार्थियों तक नहीं पहुंच सकती है।

(क) 31 अक्टूबर 2019 से 30 सितंबर 2020 तक की अवधि हेतु 31 मार्च 2022 तक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर (पुनर्गठन पश्चात) से संबंधित बकाया यूसी की स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष (*)	बकाया यूसी की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
वर्ष 2021-22 (31.10.2019 से 30.09.2020)	770	3,137.11
कुल	**770**	**3,137.11**

** उपर्युक्त वर्णित वर्ष "देय वर्ष" से संबंधित है अर्थात वास्तविक आहरण के 18 महीने पश्चात।*

(ख) इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-22 के दौरान, 31 मार्च 2021 को बकाया ₹ 10,076.58 करोड़ की राशि के 3,215 बिलों में से, 30 सितंबर 2019 तक की अवधि (पुनर्गठन पूर्व) के लिए तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित बकाया यूसी से संबंधित ₹ 1,918.26 करोड़ के 126 बिलों को स्वीकृति दी गई थी। 31 मार्च 2022 तक, 30 अक्टूबर 2019 तक आहरण किए गए तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित बकाया यूसी जिसका द्विभाजन संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य किया जाना शेष है, की स्थिति नीचे दी गई है।

वर्ष (*)	बकाया यूसी की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2019-20 तक	1,737	6,186.73
2020-21	1,352	1,971.59
2021-22 (01.10.2019 से 30.10.2019 तक)	शून्य	शून्य
कुल	**3,089**	**8,158.32**

6.13 पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर व्यय

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा पर्यावरण के प्रति किए गए व्यय को विभिन्न कार्यात्मक खातों के तहत लघु शीर्ष के स्तर तक वित्त खातों में दर्शाया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की सरकार ने प्रमुख शीर्ष 3435- "पारिस्थितिकी और पर्यावरण" के तहत ₹ 64.67 करोड़ के बजट आवंटन (बीई) के मुकाबले ₹ 45.16 करोड़ खर्च किए।

6.14 ब्याज समायोजन

(क) सरकार जे-आरक्षित निधियाँ (ए. ब्याज वहन करने वाली) तथा के-जमा व अग्रिम (ए. ब्याज वहन करने वाली जमा) के अन्तर्गत शेष राशि के संबंध में ब्याज का भुगतान/समायोजन करने के लिए उत्तरदायी है, और इस उद्देश्य हेतु, विशिष्ट उप-मुख्य शीर्ष को मुख्य तथा लघु लेखा शीर्ष की सूची में उपलब्ध कराया जाता है।

वर्ष 2021-22 के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गई इन निधियों/जमाओं तथा ब्याज का विवरण नीचे दिया गया है:

निधियाँ/जमाएँ	**1 अप्रैल 2021 को शेष**	**ब्याज की गणना हेतु आधार**	**देय ब्याज**	**भुगतान किया गया ब्याज**	**कम भुगतान किया गया ब्याज**
राज्य प्रतिकर वनीकरण निधि-एमएच-8121	764.57	पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार (@ 3.35 प्रतिशत प्रति वर्ष)	25.61	शून्य	25.61
राज्य प्रतिकर वनीकरण जमा-एमएच-8236	475.26		15.92	शून्य	15.92
		कुल	**41.53**	**शून्य**	**41.53**

₹ 41.53 करोड़ की राशि के ब्याज का भुगतान न करने/कम भुगतान के परिणामस्वरूप ₹ 41.53 करोड़ तक की राजस्व तथा राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति हुई है।

(ख) उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार "आई-लघु बचत तथा भविष्य निधि इत्यादि" पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए सरकारी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) तथा राज्य जीवन बीमा (एसएलआई) खातों पर ब्याज को संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर (जून 2022) सरकार द्वारा अनंतिम/अस्थायी आधार पर अवगत कराया गया, जो अपने कर्मचारियों के जीपीएफ और एसएलआई खातों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार, वर्ष 2021-22 के लिए

व्यय, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, देयताएं वास्तविक और अस्थायी आंकड़ों के बीच अंतर की सीमा तक भिन्न होंगे।

6.15 अप्रत्याशित/असाधारण घटनाओं से संबंधित व्यय

वर्ष 2021-22 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने न तो कोई विशिष्ट और विस्तृत लेखा शीर्ष संचालित किया है और न ही अप्रत्याशित/असाधारण घटनाओं से संबंधित अनुदानों की मांग हेतु बजट प्रावधान रखा गया है।

संघ शासित क्षेत्र सरकार को 'इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरडनेस' उद्देश्य हेतु सहायता अनुदान/केंद्रीय सहायता इत्यादि होने के कारण केंद्र सरकार से ₹ 281.66 करोड़ प्राप्त हुए, जिनका लेखांकन मुख्य शीर्ष 1601- "केंद्र सरकार से सहायता अनुदान" के अन्तर्गत किया गया है।

6.16 ब्लॉक अनुदानों को छोड़कर केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस)/ अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) का पुनर्गठन

योजना/गैर-योजना वर्गीकरण के विलय के परिणामस्वरूप, केंद्रीय सहायता मोचन को अब केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत केंद्रीय सहायता/अंश के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

31 मार्च 2022 तक केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत बुक किया गया कुल व्यय ₹ 5,415.28 करोड़ (राजस्व व्यय ₹ 2,007.69 करोड़ और पूंजीगत व्यय ₹ 3,407.59 करोड़) है, जिसमें संघ शासित क्षेत्र के अंश को छोड़कर केंद्रीय सहायता से व्यय सम्मिलित है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए संघ शासित क्षेत्र का अंश, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा समूह शीर्ष-0099- राजस्व अनुभाग में "सामान्य" तथा पूंजीगत अनुभाग में 0011- "सामान्य" के अन्तर्गत सामान्य व्यय से पूरा किया जाता है।

6.17 संघ शासित क्षेत्र सरकार की ऑफ-बजट देयताएँ

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने अपने बजट दस्तावेजों/वार्षिक वित्तीय विवरणों में ऑफ-बजट देयताओं का प्रकटन नहीं किया। हालांकि, केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर सरकार के वित्त विभाग ने प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को दिए गये उत्तर में खुलासा किया है कि जम्मू-कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (जेकेआईडीएफसी) द्वारा जुटाई गई ₹ 2,250.00 करोड़ की ऋण राशि की अदायगी, इस उद्देश्य के लिए समर्पित राजस्व से की जा रही है। इसके अलावा, केंद्र शासित क्षेत्र सरकार, जम्मू और कश्मीर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेकेपीसीएल) द्वारा जुटाई गई ₹ 10,321.83 करोड़ की ऋण राशि पर ब्याज चुका रही है। 31 मार्च 2022 तक उपरोक्त ऋणों की बकाया राशि जेकेआईडीएफसी और जेकेपीसीएल के मामले में क्रमशः ₹ 2,122.77 करोड़ और ₹ 10,321.83 करोड़ है।

6.18 एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) के बैंक खाते में पड़ी अव्ययित राशि

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधियों का सरकार द्वारा उपयोग प्रतिबंधित है तथा संबंधित एकल नोडल अभिकरण (एसएनए) के खाते में इसकी प्राप्ति के 21 दिनों की अवधि के भीतर हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित था।

31 मार्च 2022 तक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा एसएनए खाते में अव्ययित राशि का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

6.19 आकस्मिकता निधि

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 69 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार की आकस्मिकता निधि से संबंधित या अभिरक्षा में सहायक, धनराशियों के भुगतान और धन के आहरण से संबंधित सभी मामलों को विनियमित करने हेतु संघ शासित क्षेत्र सरकार ने 'जम्मू एवं कश्मीर की आकस्मिकता निधि नियम, 2020' (अधिसूचना संख्या एस.ओ- 271 दिनांक 27 अगस्त 2020) का निर्माण किया। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार की आकस्मिकता निधि ₹ 25.00 करोड़ का कोषधन है जो वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की समेकित निधि से हस्तांतरित किया गया है। 31 मार्च 2022 के अंत तक निधि के अन्तर्गत शेष राशि ₹ 25.00 करोड़ थी। 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन से पूर्व) तक तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य की आकस्मिकता निधि में ₹ एक करोड़ की शेष राशि थी जिसे अभी भी दो उत्तरवर्ती संघ शासित क्षेत्रों के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

6.20 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

वर्ष 2021-22 के दौरान, एनपीएस जो कि एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है, में कुल अंशदान ₹ 1,587.13 करोड़ (कर्मचारियों का अंशदान ₹ 652.55 करोड़ और सरकार का अंशदान ₹ 934.58 करोड़) था। सरकारी अंशदान की विस्तृत जानकारी वित्त लेखे के विवरण संख्या 15 में उपलब्ध है। सरकार ने मुख्य शीर्ष 8342-117 परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अन्तर्गत लोक लेखा में ₹ 1,587.13 करोड़ हस्तांतरित किए।

6.21 राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ)

राज्य आपदा आपदा निधि (मुख्य शीर्ष- '8121 सामान्य और अन्य आरक्षित निधि' जो ब्याज धारिता अनुभाग के अन्तर्गत है) के गठन और प्रशासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों से 90:10 अनुपात में निधि में अंशदान करना अपेक्षित है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य को दो नए संघ शासित क्षेत्रों में पुनर्गठन करने पर, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि को जारी रखा। वर्ष 2021-22 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 'संघ शासित क्षेत्र आपदा मोचन निधि में अंशदान के लिए अनुदान' के रूप में ₹ 279.00 करोड़ की प्राप्ति हुई। वर्ष के दौरान संघ शासित क्षेत्र सरकार का अंश ₹ 31.00 करोड़ था। सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-122 एसडीआरएफ के अन्तर्गत निधि में ₹ 361.23 करोड़ (केन्द्र अंश ₹ 279.00 करोड़, संघ शासित क्षेत्र अंश ₹ 31.00 करोड़, ब्याज ₹ 49.61 करोड़ तथा अव्ययित शेष ₹ 1.62 करोड़) हस्तांतरित किए।

6.22 राज्य प्रतिकर वनरोपण निधि

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, राज्य सरकारों से प्रतिकर वनरोपण उपक्रम हेतु प्रयोक्ता अभिकरणों से प्राप्त राशियों के लिए राज्य के लोक लेखा में ब्याज धारिता अनुभाग के अन्तर्गत राज्य प्रतिकर वनरोपण निधि की स्थापना अपेक्षित है।

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के दो नए संघ शासित क्षेत्रों में पुनर्गठन पर, उत्तराधिकारी संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर ने राज्य प्रतिकर वनरोपण निधि को जारी रखा। वर्ष 2021-22 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने प्रयोक्ता अभिकरणों से ₹ 8.55 करोड़ (पिछले वर्ष में ₹ 180.19 करोड़) प्राप्त किए। वर्ष 2021-22 के दौरान या वर्ष 2021-21 के दौरान राष्ट्रीय निधि में कोई राशि प्रेषित नहीं की गई। संघ शासित क्षेत्र सरकार ने राष्ट्रीय प्रतिकर वनरोपण जमा से शून्य राशि (पिछले वर्ष में ₹ 356.20 करोड़) प्राप्त की। 31 मार्च 2022 को राज्य प्रतिकर वनरोपण निधि में कुल शेष ₹ 764.57 करोड़ था। 31 मार्च 2022 तक मुख्य शीर्ष 8336- "सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि" के अंतर्गत ₹ 483.81 करोड़ का शेष भी बचा हुआ है।

6.23 विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों का हस्तांतरण

शासित क्षेत्र योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनुदानों के रूप में संघ शासित क्षेत्र/ जिला स्तरीय अभिकरणों, स्वायत्तशासी निकायों और प्राधिकरणों, सोसाइटियों, गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि को निधियाँ उपलब्ध कराती है। वर्ष 2021-22 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने सरकारी योजना/ निर्माण कार्यों/ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को ₹ 4,870.85 करोड़ की राशि प्रदान की थी। सरकारी लेखे से बाहर रखे गये (बैंक खातों में) कार्यान्वयन अभिकरणों के खातों में अव्ययित शेषों की सकल राशि तत्काल अभिनिश्चित करने योग्य नहीं है। इसलिए, उस सीमा तक लेखाओं में प्रतिबिम्बित सरकारी व्यय अंतिम नहीं है।

6.24 समेकित ऋण शोधन निधियाँ

तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में पृथक रूप से कोई समेकित ऋण शोधन निधि का सृजन नहीं किया गया। तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार ने जनवरी 2012 में ऋणों के परिशोधन हेतु समेकित ऋण शोधन निधि को स्थापित किया। निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरकार वित्तीय वर्ष 2011-12 से आरंभ करके 2021-22 तक प्रत्येक वर्ष 2010-11 के अंत में बकाया देयताओं के 0.5 प्रतिशत के न्यूनतम 10 प्रतिशत का योगदान कर सकती है ताकि इसे 2010-11 की बकाया देयताओं के 0.5 प्रतिशत के बराबर बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, वर्ष दर-वर्ष वृद्धिशील देनदारियों के संबंध में अंशदान ऐसी वृद्धिशील देनदारियों के 0.5 प्रतिशत पर किया जाएगा ताकि योजना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझे जाने वाले स्तर तक पहुंचा जा सकें। संघ शासित क्षेत्र सरकार ने वर्तमान निधि को जारी रखा तथा वर्ष 2021-22 में संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने ₹45.00 करोड़ का अंशदान दिया। वर्ष 2012 के दिशा-निर्देशों के अनुसार निधि में अंशदान हेतु अपेक्षित राशि की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) को निधि के अंतर्गत उपलब्ध ₹ 355.87 करोड़ की शेष राशि को अभी भी संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना शेष है। निधि का कुल संचय (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022 की अवधि हेतु (पुनर्गठन पश्चात) 31 मार्च 2022 को ₹ 100.63 करोड़ (31 मार्च 2021 को ₹ 55.63 करोड़) था।

6.25 प्रत्याभूति मोचन निधि

प्रत्याभूति मोचन निधि (जीआरएफ) पर आरबीआई के वर्ष 2013 के दिशानिर्देशों में उल्लिखित है कि सरकार के लिए वर्ष के आरंभ में निधि के योगदान में वर्ष के आरंभ में बकाया प्रत्याभूतियों का न्यूनतम एक प्रतिशत और तत्पश्चात पिछले वर्ष की बकाया प्रत्याभूतियों के न्यूनतम तीन से पांच प्रतिशत के कोष को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष 0.50 प्रतिशत की दर से न्यूनतम योगदान करना अपेक्षित है। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने 31 मार्च 2022 तक प्रत्याभूति मोचन निधि अधिनियम नहीं बनाया है। तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य की प्रत्याभूति मोचन निधि योजना में कोष में योगदान के लिए कोई लक्ष्य नहीं था। वर्ष के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने कोष में केवल ₹ 2.00 करोड़ का योगदान दिया। पुनर्गठन के पश्चात की अवधि अर्थात 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022 तक निधि का कुल संचय 31 मार्च 2022 को ₹ 4.00 करोड़ (31 मार्च 2021 को ₹ 2.00 करोड़) था। 30 अक्टूबर 2019 को पुनर्गठन पूर्व ₹ 20.42 करोड़ की राशि शेष थी जिसे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य अभी भी प्रभाजित किया जाना शेष है। ₹ 24.42 करोड़ की पूरी राशि [संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित ₹ 4.00 करोड़ की राशि (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022) तथा तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य (30 अक्टूबर 2019 तक) से संबंधित ₹ 20.42 करोड़ की राशि] को सरकार द्वारा निवेश नहीं किया गया है।

6.26 ब्लॉक अनुदानों को शामिल न करते हुए केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस)/ अतिरिक्त केंद्रीय

वित्त खाते उचंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के तहत बकाया राशि, विभिन्न प्रमुखों के तहत अलग-अलग बकाया डेबिट और क्रेडिट शेष राशि को जोड़कर निकाला जाता है, 31 मार्च 2022 को नौ लघु शीर्षों के तहत ₹ 448.94 करोड़ (नेट डेबिट) था [₹ 755.65 करोड़ (नेट क्रेडिट) 31 मार्च 2021]।

30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) के अंत में पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित ₹ 2,114.33 करोड़ [सस्पेंस के तहत ₹ 733.16 करोड़ (डेबिट) और रेमिटेंस के तहत ₹ 2,847.49 करोड़ (क्रेडिट)] का शुद्ध क्रेडिट बैलेंस भी था। सस्पेंस और रेमिटेंस हेड्स के तहत कश्मीर जिसे उत्तराधिकारी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बीच विभाजित किया जाना बाकी है।

इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया राशियों की गैर-मंजूरी प्राप्तियों/व्यय के आंकड़ों की सटीकता और संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के विभिन्न लेखा शीर्षों (जो वर्ष दर वर्ष आगे बढ़ाई जाती हैं) के अंतर्गत शेष राशि को प्रभावित करती है।

6.27 अन्य उपकर/शुल्क/अधिभार

वर्ष 2021-2022 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने मुख्य शीर्ष 0029- "भू-राजस्व"(श्रम उपकार के सिवाय) के नीचे लघु शीर्ष 103-"भूमि पर दर तथा उपकर" के अन्तर्गत ₹ 21.45 करोड़ (वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 22.45 करोड़) की राशि का खर्च दिखाया। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा एकत्रित किए गए उपकरों के हस्तांतरण हेतु किसी निधि को स्थापित नहीं किया गया।

6.28 राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप शेषों का आबंटन

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (धारा 84 तथा 85) तथा सरकारी आदेश संख्या 2021 के 14-एफ 14 जनवरी 2021 के पश्चात 30 अक्टूबर 2020 के संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार की अधिसूचना इस तरीके का उपबंध करती है जिसके अनुसार 31 अक्टूबर 2019 से उत्तरदायी संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य शेषों को प्रभाजित किया जाए।

यद्यपि, 14 जनवरी 2021 को संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा इस संबंध में सरकारी आदेश जारी किया गया, 30 अक्टूबर 2019 तक सभी शेषों को उत्तराधिकारी संघ शासित क्षेत्रों अर्थात संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य अभी भी प्रभाजित किया जाना शेष है जिसके परिणामस्वरूप कुछ लेखा शीर्षों के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष है। अप्रभाजित मदों का ब्यौरा वित्त लेखा के खण्ड-II के परिशिष्ट-XIII में दिया गया है।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2022
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ae/jammu-and-kashmir/hi